रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

Regd. No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1977 (कार्तिक 14, 1899)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1977 (KARTIKA 14, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनाक 24 अगस्त 1977

सं० ए० 32014/1/77-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग) श्री पी० पी० मिक्का को, राष्ट्रपति द्वारा 24-8-1977 से 8-10-1977 तक 46 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी संवर्ग में पूर्णत: अस्थायी और तदर्थ आधार में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
प्रशासन प्रभारी
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-11001, दिनाक 30 अगस्त 1977

सं० पी०/657-प्रशा०-I—सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु चयन हो जाने के फलस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में के० स० स्टे० से० के स्थायी ग्रेड ग अधिकारी तथा उक्त सेवा के ग्रेड ख में स्थानापन्न रूप से कार्यरत श्री पी० पी० मिक्का की सेवाए 30 अगस्त, 1977 के अपराह्न मे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।

दिनाक 29 सितम्बर 1977

सं० ए० 32011/1/77-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग) श्री के० सुन्दरम को, जिन्हे समसंख्यक आदेश दिनाक 20 जुलाई, 1977 द्वारा 30-9-1977 तक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पूर्णत अस्थायी और तदर्थ आधार में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा 1-10-1977 से 30-11-1977 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशो तक, जो भी पहले हो, उसी हैसियत मे पूर्णत: अस्थायी और तदर्थ आधार मे स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति सहर्ष प्रदान की गई है।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

1—316GI/77

गृह मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 अक्तूबर 1977

सं० ए०-19036/3/77-प्रशासन-5—श्री एम० वेंकटाचलम, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना शाखा ने दिनांक 1-9-77 (पूर्वाह्न) से पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना शाखा के अपने पद का कार्यभार त्याग दिया और 61 दिन की सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले गए।

वह दिनांक 31-10-77 (अपराह्न) से अंतिम रूप से सेवा मुक्त होंगे।

भूदेव पाल
प्रशासन अधिकारी (स्था)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अक्तूबर 1977

सं० ओ०-II -1068/77-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के० जगन्नाथ राव, 27 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल, का त्यागपत्र दिनांक 5-9-1977 पूर्वाह्न से स्वीकृत कर लिया।

दिनांक 15 अक्तूबर 1977

सं० ओ०-II-14/72-स्थापना—श्री डी० एस० भटनागर, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ने उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशालय में उपनिदेशक (प्रोवीसनिंग) के पद का कार्यभार छोड़ा।

सं० ओ०-II-1074/77-स्थापना—राष्ट्रपति, डाक्टर लिंगाराज जैना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड-II (डी० एस० पी०/कम्पनी कमान्डर) के पद पर 28-9-1977 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 18 अक्तूबर 1977

सं० ओ०-II-1042/76-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल ने डाक्टर निभारण मोहन्ती को 6-10-1977 के पूर्वाह्न से केवल 3 माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक प्रशासन

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110024, दिनांक 12 अक्तूबर 1977

सं० ई०-16016/20/76-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित होने पर, डा० (श्रीमती) बी० जोया, स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य स्वस्थ्य शिक्षा ब्यूरो, हैदराबाद ने 19 सितम्बर, 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण कालेज, हैदराबाद में सहायक सर्जन ग्रेड-1 के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री जगदीश मोहन सेठी, को के० औ० सु० ब० यूनिट बी० आई० ओ० पी० (डिपोजिट 14), किरिबुरू का तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने दिनांक 5 फरवरी 1977 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/9/77-कार्मिक—दुर्गापुर को स्थानांतरित होने पर, श्री आर० एम० दास ने 14 सितम्बर 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट हल्दिया के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(3)/9/77-कार्मिक—दुर्गापुर से स्थानांतरित होने पर, श्री आर० के० दीक्षित ने 6 सितम्बर 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने 14 सितम्बर 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० ओ० सी० हल्दिया में सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/13/77-कार्मिक—झरिया को स्थानांतरित होने पर, श्री एम० के० बनर्जी ने 14 सितम्बर 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ली० सि० बिष्ट
महानिरीक्षक के०औ० सु०ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

सं० 5/3/76-म० प० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, इस कार्यालय की तारीख 19-1-1977 की अधिसूचना सं० 5/3/76-म० प० (प्रशा० I) के अनुक्रम में भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय, नई दिल्ली में मानचित्र अधिकारी, डा० बी० के० रॉय, की इसी कार्यालय में सहायक महापंजीकार (मानचित्र) के पद पर पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ नियुक्ति को तारीख 20-7-1977 से छ माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी समय इनमें कम हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

सं० 5/3/76 म० प० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति इस कार्यालय की तारीख 20-1-1977 की अधिसूचना सं० 5/3/76-म० प० (प्रशा०-I) के अनुक्रम में भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ भूगोलवेत्ता सर्वश्री ए० डी० त्यागी और महेश राम को इसी कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी मानचित्र, के पद पर पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ नियुक्ति की तारीख 20-7-1977 से छ माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी समय इनमें कम हो सहर्ष बढ़ाते हैं।

सं० 5/3/76-म० पं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, इस कार्यालय की तारीख 19-1-1977 की अधिसूचना सं० 5/3/76 म० प० (प्रशा०-I) के अनुक्रम में भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय, नई दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र), डा० आर० आर० त्रिपाठी की इसी कार्यालय में मानचित्र अधिकारी के पद पर पूर्णत अस्थायी और तदर्थ नियुक्ति की तारीख 20-7-1977 से छः माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी इस समय इनमें सकम हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

रा० भ० चारी
भारत के महापंजीकार और
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बैंक नोट मुद्रणालय, देवास
देवास, दिनांक 13 अक्तूबर 1977

फा० सं० बी० एन० पी०/मी०/23/77—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-7-77 के अनुक्रम में श्री एस० के० माथुर, उप नियन्त्रण अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति दिनांक 19-10-77 पूर्वाह्न से 3 माह की अवधि तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक जो भी पहले हो निरन्तर की जाती है।

पी० एस० शिवराम
महा प्रबन्धक

रक्षा लेखा विभाग
कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियंत्रक
नई दिल्ली-110022, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० 40011(1)/76-प्रशा०-I—रक्षा लेखा महा नियंत्रक, निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को स्थानापन्न लेखा अधिकारियों के रूप में, आगामी आदेश पर्यन्त, प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख से एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं—

क्रम सं०	नाम	संगठन	तारीख
1	2	3	4
1.	श्री पी० एल० मेहरोत्रा	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर मेरठ	13-9-77 (पूर्वाह्न)
2.	श्री आर० एन० बहल	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ	27-4-77 (पूर्वाह्न)
3.	श्री सत्य देव शर्मा	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ	5-8-77 (पूर्वाह्न)
4	श्री सदानन्द	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	4-7-77 (पूर्वाह्न)
5.	श्री एम० के० मुखर्जी	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर मेरठ	12-7-77 (पूर्वाह्न)
6.	श्री एम० एम० पोपली	रक्षा लेखा संयुक्त (निधि) मेरठ	30-8-77 (पूर्वाह्न)
7.	श्री के० के० अडकर	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	1-9-77 (पूर्वाह्न)
8.	श्री वी० एन० तिलक	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	30-8-77 (पूर्वाह्न)
9.	श्री काली प्रसन्न सेन	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	16-8-77 (पूर्वाह्न)
10.	जसवंत सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर मेरठ	31-8-77 (पूर्वाह्न)
11.	श्री गुरबचन सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	8-8-77 (पूर्वाह्न)
12	श्री दलीप सिंह बेवाली	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	1-9-77 (पूर्वाह्न)
13	श्री एम० जी० रानडे	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना	11-8-77 (पूर्वाह्न)
14	श्री आर० अनन्तरामन	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना) बम्बई	1-9-77 (पूर्वाह्न)
15.	श्री जे० एन० नरसिम्हा राव	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	16-8 77 (पूर्वाह्न)
16	श्री इन्द्र कुमार कपिला	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना) देहरादून	17-8-77 (पूर्वाह्न)
17.	श्री के० सी० डोले	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	21-8-77 (पूर्वाह्न)
18.	श्री वी० वी० अरोले	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	1-8-77 (पूर्वाह्न)
19	श्री एम० एन० बिस्वास	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	4-8-77 (पूर्वाह्न)
20	श्री मोहम्मद मुमताज अहमद	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	8-8-77 (पूर्वाह्न)
21.	श्री एम० बी० एस० चौहान	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	15-9-77 (पूर्वाह्न)
22.	श्री आर० दैवसिगामणि	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	25-8-77 (पूर्वाह्न)

1.	2	3	4
23.	श्री एस० शेषगिरि राव . . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक (नौ सेना) बम्बई	4-8-77 (पूर्वाह्न)
24.	श्री एस० एस० वेंकटरामन . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	8-8-77 (पूर्वाह्न)
25.	श्री मदन लाल कपूर . . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेंशन) इलाहाबाद	12-9-77 (पूर्वाह्न)
26.	श्री के० एस० रगास्वामी . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	7-9-77 (पूर्वाह्न)
27	श्री के० वेंकट सुब्रह्मण्यम . . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक, दक्षिण कमान, पूना	1-9-77 (पूर्वाह्न)
28.	श्री एन० श्रीनिवासन-II . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेंशन) इलाहाबाद	13-9-77 (पूर्वाह्न)
29.	श्री टी० वी० वासुदेवन . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक, दक्षिण कमान, पूना	1-9-77 (पूर्वाह्न)
30.	श्री एन० आर० नवनीतन . . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	1-9-77 (पूर्वाह्न)
31.	श्री डी० आर० शर्मा . . .	रक्षा लेखा नियन्त्रक, (वायु सेना) देहरादून	16-8-77 (पूर्वाह्न)

आर० वेंकट रत्नम
रक्षा लेखा उप महा नियन्त्रक (प्रशा०)

रक्षा मन्त्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरिया सेवा

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरिया

कलकत्ता, दिनांक 11 अक्तूबर 1977

सं० 59/77/जी०—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-III महाप्रबन्धक ग्रेड-III उप-महाप्रबन्धक के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीखों से पुष्ट करते हैं :—

(1) श्री बी० राय, स्थानापन्न ए०डी०जी० ओ० एफ० ग्रेड- 1 जनवरी, 1975

(2) श्री रवि कुमार, स्थानापन्न ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-II 1 जनवरी, 1975

(3) श्री आई० बी० घोष, स्थानापन्न ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-II 1 जनवरी, 1975

(4) श्री वाई० एस० त्रिवेदी, स्थानापन्न महाप्रबन्धक ग्रेड-II 1 जनवरी, 1975

(5) श्री एम० थीगराजन, स्थानापन्न उप-महाप्रबन्धक 1 जनवरी, 1975

(6) श्री बी० एन० राय, स्थानापन्न ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-II (अवकाश प्राप्त) 1 जनवरी, 1975

(7) श्री पी० के० घोष, स्थानापन्न, ए०डी०जी० ओ० एफ० ग्रेड-I (दिगवत)। 1 जनवरी, 1975

(8) श्री जे० के० बर्न्जी, स्थानापन्न, महाप्रबन्धक, ग्रेड-II 1 अप्रैल, 1975

(9) श्री बी० के० घई, स्थानापन्न, ए०डी०जी०ओ०एफ० ग्रेड-II . 1 सितम्बर, 1975

(10) श्री आर० के० मजुमदार, स्थानापन्न, उप प्रबन्धक 18 सितम्बर, 1975

(11) श्री एन० एल० धीर, स्थानापन्न, उप-महाप्रबन्धक . . 14 अक्तूबर, 1975

(12) श्री ओ०पी० मेहरोत्रा, स्थानापन्न, महाप्रबन्धक, ग्रेड-II 1 जनवरी, 1976

(13) श्री ए० के० दाम, स्थानापन्न, उपमहाप्रबन्धक . . 1 जनवरी, 1976

सं० 60/77/जी०—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० 1 प्रबन्धक के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीखों से पुष्ट करते हैं :—

(1) श्री जी० गोपकुमार, स्थानापन्न, वरिष्ठ डी०ए०डी०जी० ओ० एफ० 1 जून, 1975

(2) श्री वी० एम० नागराजन, स्थानापन्न, प्रबन्धक . . 1 जून, 1975

(3) श्री ए० एम० चक्रवर्ती, स्थानापन्न प्रबन्धक . 1 जून, 1975

(4) श्री बी० ई० पी० नायर, स्थानापन्न, प्रबन्धक . . 1 जून, 1975

(5) श्री डी० के० दत्ता, स्थानापन्न, प्रबन्धक . . . 1 जून, 1975

(6) श्री आर० जयरामन, स्थानापन्न प्रबन्धक . . . 1 जून, 1975

(7) श्री के० सी० पाल, स्थानापन्न प्रबन्धक . . . 1 जून, 1975

(8) श्री सी० एन० रजन, स्थानापन्न प्रबन्धक . . . 1 जून, 1975

(9) श्री एस० के० रमानाथन्, स्थानापन्न प्रबन्धक . 1 जून, 1975

(10) श्री पी० के० बसाक, स्थानापन्न प्रबन्धक . . . 1 जुलाई, 1975

(11) श्री एम० खालीलुल्लाह, स्थानापन्न प्रबन्धक . . 19 अगस्त 1975

(12) श्री एच० अच्चुतन्, स्थानापन्न प्रबन्धक . 1 सितम्बर, 1975

(13) श्री ए० बी० लंकने, स्थानापन्न, प्रबन्धक . 1 सितम्बर, 1975

(14) श्री टी० के० गोपालकृष्णन्, स्थानापन्न प्रबन्धक . . 18 सितम्बर, ,1975

(15) श्री पी० आर० राव, स्थानापन्न प्रबन्धक . . . 14 अक्तूबर, 1975

(16) श्री बी० सी० कस्तूरीरंगन, स्थानापन्न प्रबन्धक . . 1 जनवरी, 1976

(17) श्री डी० बी० बेटीगेरी, स्थानापन्न प्रबन्धक . . 1 जनवरी, 1976

(18) श्री एम० बी० रीवाश्याम, स्थानापन्न प्रबन्धक . . 1 जनवरी, 1976

(19) श्री ए० चन्द्र मोहन, स्थानापन्न प्रबन्धक . 1 फरवरी, 1976

(20) श्री क० एन० बट्टगुना, स्थानापन्न प्रबन्धक . . . 1 मार्च, 1976

स० 65/77/जो०—सेवा निवृत पूर्व अवकाश की समाप्ति पर, श्री जी० सी० बनर्जी, स्थानापन्न टैकनिकल स्टाफ अफसर (मौलिक एवं स्थायी एम० ए०) दिनांक 31 जुलाई, 1977 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

स० 66/77/जो०—सेवा निवृत्त पूर्व अवकाश की समाप्ति पर, श्री एस० आर० बनर्जी, स्थानापन्न टेकनिक्ल स्टाफ अफसर (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन) दिनांक 31 जुलाई, 1977 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

दिनांक 13 अक्तूबर 1977

स० 61/77/जी०—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०/ उपप्रबन्धक के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीखों से पुष्ट करते हैं—

(1) श्री एस० वेद्यानाथन स्थानापन्न उप-प्रबन्धक 15 अक्तूबर 1973

(2) श्री बी० एन० भरत, उपप्रबन्धक (दिवंगत) . . 15 अक्तूबर, 1973

(3) श्री बी० एन० सरकार, स्थानापन्न वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० . . . 29 अक्तूबर, 1973

(4) श्री के० एच० रामन्, स्थानापन्न प्रबन्धक . . 5 नवम्बर, 1973

(5) श्री डी० पी० दाम, स्थानापन्न, उप-प्रबन्धक . . 5 दिसम्बर, 1973

(6) श्री पी० एम० रास्तोगी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 21 दिसम्बर, 1973

(7) श्री आर० एस० यादव, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . . 2 दिसम्बर, 1973

(8) श्री एस० बी० सानमुगराज, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 1 जनवरी, 1974

(9) श्री वी० पी० रास्तोगी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 6 जनवरी, 1974

(10) श्री ए० के० माथुर, स्थानापन्न उप प्रबन्धक . . 10 जनवरी, 1974

(11) श्री जे० आर० कलिया, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक 1 मार्च, 1974

(12) श्री जी० एन० गोयल, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० 1 अप्रैल, 1974

(13) श्री बी० एस० गुप्ता, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . . 1 जुलाई, 1974

(14) श्री वी० एम० ज्वाहरलाल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . . 23 जुलाई, 1974

(15) श्री टी० आर० मोहन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 1 अगस्त, 1974

(16) श्री सी० आर० जैन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 1 सितम्बर, 1974

(17) श्री वी० कुमारस्वामी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . . 1 अक्तूबर, 1974

(18) श्री पी० एस० सोधी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . . 1 अक्तूबर, 1974

(19) श्री के० बी० सी० नायर, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 1 नवम्बर, 1974

(20) श्री के० सी० श्रीखंडे, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 1 नवम्बर, 1974

(21) श्री एस० बी० दत्ता, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० 1 दिसम्बर, 1974

(22) श्री जी० आई० वेलिंगटन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 1 जनवरी, 1975

(23) श्री ए० बी० लाल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक 1 जनवरी, 1975

(24) श्री आर० एस० साहिनी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (दिवगत) 1 जनवरी, 1975

(25) श्री एन० एस० थीग, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक . 1 मार्च, 1975

(26) श्री राम जी राय, स्थानापन्न उप प्रबन्धक . 1 मार्च, 1975

(27) श्री एम० के० सुरी, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० . 1 मार्च, 1975

(28)	श्री जी० सुब्रामानियम, स्थानापन्न डी० ए० डी०जी० ओ० एफ०	1 अप्रैल, 1975
(29)	श्री जी० कृष्णमूर्ति, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 मई, 1975
(30)	श्री बी० के सिंह, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	30 मई, 1975
(31)	श्री के० सी० मुखर्जी, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०	1 जून, 1975
(32)	श्री एस० आर० गुहा राय, स्थानापन्न डी०ए०डी०जी० ओ० एफ०	1 जून, 1975
(33)	श्री आर० एन० सेन गुप्ता, स्थानापन्न डी०ए०डी०जी०ओ० एफ०	1 जून, 1975
(34)	श्री आर० के० सरनायक, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 जून, 1975
(35)	श्री बी० बी० वर्मा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 जून, 1975
(36)	श्री जे०एस० कुलधर, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 जून, 1975
(37)	श्री एस० तिवारी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 जून, 1975
(38)	श्री बी० दत्ता, स्थानापन्न, उप-प्रबन्धक	1 जून, 1975
(39)	श्री ए० के० चट्टर्जी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 जून, 1975
(40)	श्री डी० सेन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 जून, 1975
(41)	श्री ए० पी० बागची, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (अवकाश प्राप्त)	1 जुलाई, 1975
(42)	श्री ए० सन्याल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	19 जुलाई, 1975
(43)	श्री के० एस० घई, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 अगस्त, 1975
(44)	श्री टी० एस० रामालिंगम, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक	1 अगस्त, 1975

एम० पी० आर० पिल्लाय,
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

उद्योग मन्त्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1977

स० 19018(296) 77-प्रशासन (राजपत्रित)—सी० बी० टी० जयपुर के कनिष्ट लेखा अधिकारी श्री के० एल० महाजन को महा लेखा नियंत्रक उद्योग मन्त्रालय में लेखा अधिकारी के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते है।

2. लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप श्री के० एल० महाजन ने लघु उद्योग विकास सगठन, निर्माण भवन के वेतन एव लेखा कार्यालय मे लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार दिनाक 11-7-77 (पूर्वाह्न) मे सभाला।

दिनाक 17 अक्तूबर 1977

स० 12(101) 61-प्रशासन (राजपत्रित)—लघु उद्योग विकास सगठन मे निदेशक (वर्ग-II) (ई० आई०) श्री स्वराज्य प्रकाश को राष्ट्रपति जी दिनाक 12-8-77 (पूर्वाह्न) से 28-9-1977 तक की अवधि के लिये या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, के लिये लघु उद्योग विकास सगठन मे निदेशक (वर्ग-I) (सामान्य प्रशासन प्रभाग) के रूप मे तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते है।

निदेशक (वर्ग-I) (सामान्य प्रशासन प्रभाग) के रूप मे नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री स्वराज्य प्रकाश ने विकासायुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली के कार्यालय मे निदेशक (वर्ग-II) (ई० आई०) के पद का कार्यभार दिनाक 12 अगस्त, 1977 (पूर्वाह्न) से छोड़ा और उसी तिथि से उक्त कार्यालय मे निदेशक (वर्ग-I) (सामान्य प्रशासन प्रभाग) का कार्यभार संभाल लिया।

स० ए० 19018/52/73-प्रशा० (राजपत्रित)—वाणिज्य मत्रालय मे वरिष्ठ शोध अधिकारी के रूप मे नियुक्ति के लिए स्थानांतरित होने के फलस्वरूप श्री नरदेव सिंह (भारतीय आर्थिक सेवा के वर्ग-II के अधिकारी) ने विकासायुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली के कार्यालय में उप-निदेशक (आर्थिक अन्वेषण) के पद का कार्यभार दिनाक 22 अगस्त 1977 (पूर्वाह्न) से छोड़ दिया।

स० ए० 19018/276/77-प्रशासन (राजपत्रित)—लघु उद्योग सेवा सस्थान, कानपुर मे लघु उद्योग सवर्द्धन अधिकारी श्री सी० पी० श्रीवास्तव को विकास आयुक्त (लघु उद्योग) लघु उद्योग विकास संगठन मे सहायक निदेशक (वर्ग-II) (आर्थिक अन्वेषण) के पद पर दिनाक 25-7-77 (पूर्वाह्न) से 31-12-77 तक की अवधि तक या नियमित अधिकारी की नियुक्ति होने तक के लिये, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते है।

2. नियुक्ति के फलस्वरूप श्री सी० पी० श्रीवास्तव ने लघु उद्योग सेवा सस्थान, पटना मे सहायक निदेशक (वर्ग-II) (आर्थिक अन्वेषण) के पद का कार्यभार दिनाक 25 जुलाई 1977 (पूर्वाह्न) से सभाल लिया।

स० 19018(296)/77-प्रशा० (राज०)—सी० बी० डी० टी० जयपुर में कनिष्ट लेखा अधिकारी श्री के० एल० महाजन को भारत के महालेखा नियंत्रक तदर्थ आधार पर उद्योग मन्त्रालय मे लेखा अधिकारी नियुक्त करते है।

2 लेखा अधिकारी नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप श्री के० के० एल० महाजन ने लघु उद्योग विकास सगठन, निर्माण भवन, नई दिल्ली के वेतन एव लेखा कार्यालय मे लेखा अधिकारी का पद दिनांक 11 जुलाई 1977 (पूर्वाह्न) से सम्भाला।

सं० ए० 19018 (298)/77-प्रशासन (राजपत्रित)—भारतीय आर्थिक सेवा (आई० ई० एस०) के वर्ग 4 के अधिकारी श्री एन० डी० जी० नायर को राष्ट्रपति जी लघु उद्योग विकास संगठन में दिनांक 10 जून, 1977 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक के लिए उप-निदेशक (आर्थिक अन्वेषण) नियुक्त करते हैं।

2 नियुक्ति के फलस्वरूप श्री एन० डी० जी० नायर ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्रास में उप-निदेशक (आर्थिक अन्वेषण) का कार्यभार दिनांक 10 जून, 1977 (पूर्वाह्न) से संभाला।

वी० वेंकटरायलु
उप-निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-6)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1977

सं० प्र०-6/57 (8)—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु) श्री डी० रामानुजम को दिनांक 22-9-66 से सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु) के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

सूर्य प्रकाश
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

सं० 4844/बी/36/76/19सी०—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशासनिक अधिकारी श्री एम० रामचन्द्रन को 30 जून 1977 (अपराह्न) से मुक्त किया गया है ताकि वे मुख्य कमिश्नर, अंडमान और निकोबार प्रशासन, के कार्यालय में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन/वर्क स्टडी) के रूप में कार्य-भार ग्रहण कर सकें।

बी० के० एम० वरदन
महानिदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1977

सं० 2/15/61-एम०-2—महानिदेशक आकाशवाणी, श्री आर० के० शर्मा, प्रशासन अधिकारी, दूरदर्शन (अमृतसर), नई दिल्ली को आकाशवाणी, नई दिल्ली में 8-8-77 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 अक्तूबर 1977

सं० 19/6/76-एम० दो—महानिदेशक, आकाशवाणी, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली में काम कर रहे निम्नलिखित वरिष्ठ श्रेणी आशुलिपिकों को, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली में बिल्कुल तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से, अगले आदेशों तक, रिपोर्टर (मानिटरिंग) नियुक्त करते हैं।

1. श्री आर० डी० वर्मा	9-9-77 (पूर्वाह्न)
2 श्री पी० एन० सक्सेना	9-9-77 (पूर्वाह्न)
3. श्री एम० एम० चौपड़ा	13-9-77 (पूर्वाह्न)
4. श्री एस० एस० भटनागर	13-9-77 (पूर्वाह्न)
5 श्री कैलाश चन्द्र भारद्वाज	19-9-77 (पूर्वाह्न)

एस० वी० सेषाद्री
प्रशासन उप निदेशक
कृते महानिदेशक।

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 1977

सं० 4/15/76-एस० एक—महानिदेशक, एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक के संवर्ग में, 6 अक्तूबर, 1970 से मूल रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	इस समय किस पद पर है
1.	श्री हेम नारायण पैट्रो	कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी पासीघाट।
2.	श्री ए० बी० कर चौधरी	सहायक केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, कलकत्ता।
3.	श्री एन० सी० पाड्या	सेवा निवृत्त।
4.	श्रीमती सुशीला विजय राघवन	कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, कालीकट।
5	श्री जी० मेशराम	केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी औरंगाबाद।
6.	श्री ए० एस० अग्रवाल	सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र अमृतसर (मुख्यालय दिल्ली में)।
7.	श्री जे० बी० देसाई	सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई।
8.	श्री के० वी० रामचन्द्रन	सहायक कार्यक्रम निदेशक, आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली।
9	श्री सी० डी० वर्मा	कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी लखनऊ।
10	श्री आर० के० अग्रवाल	कार्यक्रम निष्पादक विज्ञापन प्रसारन सेवा आकाशवाणी अहमदाबाद।

यह पुष्टि इस शर्त पर है कि इनको किसी भी समय सार्वजनिक निगम में स्थानातरित किया जा सकता है और ऐसे स्थानातरण पर, उन पर उस निगम के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवा की शर्तें लागू होगी।

दिनाक 13 अक्तूबर, 1977

सं० 4(8)/77-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री उमराओ सिंह को आकाशवाणी, गोरखपुर में 23-9-77 से अग्रेतर आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4(20)/77-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री मुहम्मद शफीक को रेडियो कश्मीर, श्रीनगर में 21-9-77 से अग्रेतर आदेशो तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप मे नियुक्त करते हैं।

सं० 4(70)/77-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री प० न० मधुस्कर को आकाशवाणी, पूना में 26-9-1977 से अग्रेतर आदेशो तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप मे नियुक्त करते हैं।

दिनाक 15 अक्तूबर 1977

स० 4(29)/75-एस०-एक (खण्ड-2)—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्द्वारा श्री उमा शंकर पान्डा को आकाशवाणी अम्बिकापुर मे 5 सितम्बर, 1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

नन्द किशोर भारद्वाज
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनाक 12 अक्तूबर 1977

सं० 12-11/72-प्रशासन-I—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के उप-निदेशक प्रशासन श्री कर्तारम 31 जुलाई, 1977 अपराह्न से भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

सं० ए० 12026/13/-77 (एस० जे०) प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदर जंग अस्पताल नई दिल्ली की डाईक्टीशियन श्रीमती इन्दू सहगल को 1 अप्रैल, 1977 से उपर्युक्त अस्पताल मे आगामी आदेशो तक वरिष्ठ डाईक्टीशियन के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

दिनाक 15 अक्तूबर, 1977

सं० ए०-35014/1/-77 (जे० एस०) प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने भारतीय डाक तार विभाग नई दिल्ली मे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री पी० एन० मरवाला को 19 सितम्बर, 1977 अपराह्न से आगामी आदेशो तक सफदरजग अस्पताल नई दिल्ली मे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया है।

प्रशासनिक अधिकारी के पद पर श्री पी० एन० मरवाला की नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री वी० डी० उप्पल ने 19 सितम्बर, 1977 अपराह्न से सफदरजग अस्पताल, नई दिल्ली से प्रशासनिक अधिकारी के पद का कार्यभार छोड दिया है।

स० ए०-40012/1/77-(एच० एम० डी०) प्रशासन-I—अपनी सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप कुमारी एम० होड्रमसन, ने 31 अगस्त, 1977 अपराह्न से केन्द्रीय साइकेट्री संस्थान, कान्के राची में नर्सिंग अधीक्षक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

शाम लाल कुठियाला
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1977

सं० 11-16/71-प्रशासन-I—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के श्री सूरज प्रकाश जिन्दल, उपनिदेशक प्रशासन 30 सितम्बर 1977 अपराह्न को सरकारी नौकरी से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

ए० सुरीन
उप निदेशक प्रशासन

नई-दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 1977

सं० ए० 11013/17/76-के० स० स्वा० यो०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री अशोक कुमार भटनागर को 1 अगस्त 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली मे भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरापिस्ट) ग्रेड-I के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 14 अक्तूबर 1977

सं० ए०-19019/48/77 के० स० स्वा० यो०-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० (श्रीमती) उमा गुप्त को 10 अगस्त 1977 अपराह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेरठ में होम्योपैथिक फिजीशियन के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

एन० एम० भाटिया
उप-निदेशक प्रशासन

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 2 दिसम्बर 1976

सं० पी० ए०/81(133)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहा के एक स्थायी वैज्ञानिक सहायक (ए) और स्थानापन्न ड्राफटमैन 'सी' श्री सुभाष चंद्र सक्सेना को 1 अगस्त, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक के लिये स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर श्रेणी एस० बी० नियुक्त करते हैं।

दिनाक 5 मार्च, 1977

स० पी० ए०/81(127)/76/आर०-4—भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के निदेशक यहा के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री शरदचन्द्र दिगम्बर धारूरकर को 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक के लिये इसी अनुसधान केन्द्र मे स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इजीनियर श्रेणी एस० बी० नियुक्त करते हैं ।

दिनाक 7 मार्च, 1977

सं० पी० ए०/81(127)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के निदेशक यहा के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री हरिश्चन्द्र नारायण करंदीकर को 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक के लिये स्थानापन्न रूप मे इसी अनुसंधान केन्द्र मे वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-श्रेणी एस० बी० नियुक्त करते हैं ।

दिनाक 22 मार्च 1977

स० पी० ए०/81(61)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक एक अस्थाई पर्यवेक्षक (सिविल) श्री मनिपराम्बिल अलेसु फ्रासिस को 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशो तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र मे स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इजीनियर एस०बी० नियुक्त करते हैं।

दिनाक 1 अप्रैल 1977

सं० पी० ए०/116(4)/77-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के निदेशक इसी केन्द्र एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री एन० स्वामीनाथन अय्यर को इसी केन्द्र मे 19 फरवरी, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक वैज्ञानिक आफिसर/इजीनियर ग्रेड एस० बी० पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त करते हैं।

दिनाक 2 अप्रैल 1977

सं० पी० ए०/81(134)/76-आर०-4—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ,श्री तुलसीराम लक्ष्मण शिलामकर जोकि इसी केन्द्र मे एक स्थाई प्रारूपकार (बी०) और स्थानापन्न प्रारूपकार (सी०) हैं को 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक के लिए इसी अनुसधान केन्द्र मे स्थानापन्न वैज्ञानिक इजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए०/81(134)/76-आर०—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र, श्री कोडिअल किशोर शंकर राव जो कि इसी केन्द्र मे एक अस्थाई फोरमैन हैं, 1 अगस्त,1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र मे स्थानापन्न वैज्ञानिक अफसर/इजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते है।

दिनाक 4 अप्रैल 1977

स० पी० ए०/81(132)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक, इसी अनुसधान केन्द्र के एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक बी० और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक सी० श्री बेजामिन अन्थोनी वल्लादरेस को इसी अनुसंधान केन्द्र में 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न मे आगामी आदेशो तक वैज्ञानिक आफिसर/जीनियर ग्रेड एस० बी० पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त करते हैं।

दिनाक 5 अप्रैल 1977

सं० पी० ए०/61(4)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के नियन्त्रक, श्री राम प्रकाश मलहोत्रा को इसी अनुसधान केन्द्र मे 31 मार्च,1977 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेश तक स्टेशन अधिकारी पद पर, अस्थाई रूप मे नियुक्त करते है।

सं० पी० ए०/81(121)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक इसी अनुसंधान केन्द्र के श्री कुन्ननकट उन्नीकृष्णन एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी०) को इसी अनुसंधान केन्द्र मे 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक, वैज्ञानिक आफिसर/इजीनियर ग्रेड एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त करते है।

स० पी० ए०/81(125)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के निदेशक इसी अनुसधान केन्द्र के निम्नलिखित दोनों स्थाई वैज्ञानिक सहायक (ए०) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी०) को इसी अनुसधान केन्द्र में 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक वैज्ञानिक आफिसर/जीनियर ग्रेड एस० बी० के पदो पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त करते हैं।

क्र० नाम

1. श्री रामास्वामी वेकटरमानी
2. श्री विष्णुमंगलम् नारायणन वेनकटिरामन

स० पी०ए०/81(131)/76-आर०-4—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र, श्री रामाकान्त बाबली बरनेकर, जो कि इसी केन्द्र मे स्थाई वैज्ञानिक सहायक (ए०) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी०) हैं, को 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र मे स्थानापन्न वैज्ञानिक अफसर/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

दिनाक 6 अप्रैल, 1977

स० पी० ए०/81(125)/76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के निदेशक, इसी अनुसंधान केन्द्र के श्री पुरुषोत्तम भाई वल्लभभाई पटेल एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी०) को 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक, इसी अनुसधान केन्द्र मे वैज्ञानिक अफसर/इजीनियर ग्रेड एस०बी० के पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त करते है।

दिनाक 18 अप्रैल, 1977

स० पी० ए०/73(11)-76-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा० शकर केशवराव बाकडे को 6 अप्रैल, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक अस्थाई रूप मे स्थानापन्न रेसीडेन्ट मेडिकल आफिसर नियुक्त करते हैं।

दिनाक 21 अप्रैल, 1977

स० पी० ए०/79(25)/75-आर०-4—विद्युत् परियोजना इजीनियरिंग प्रभाग मे तबादला होने पर, उसी प्रभाग के एक स्थाई सेलेक्शन ग्रेड क्लार्क और स्थानापन्न सामान्य प्रशासनिक अधिकारी,

श्री राम जयराम दास भाटिया, 25 मार्च, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र मे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड (रु० 840–1200) मे एक आफिसर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त किये जाते है।

दिनाक 29 अप्रैल 1977

सं० पी०ए०/73(9)/76–आर०–4—इस अनुसधान केन्द्र की तारीख 27 दिसबर, 1976 की समसंख्यक अधिसूचना के आगे भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के नियत्रक इसी अनुसधान केन्द्र की एक स्थाई सहायक मेट्रन श्रीमती तारा रामचद्र वलसांगकर को इसी केन्द्र में 4 अप्रैल, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशो तक नियमित आधार पर स्थानापन्न मेट्रन नियुक्त करते है।

दिनांक, 31 मई 1977

सं० पी० ए० /73(11)–76–आर०–4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा० बलवत रघुनाथ वाघोलिकर को 6 मई, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशो तक निवासी मेडिकल अधिकारी के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते है।

स० पी० ए०/81(24)/77–आर०–4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक, श्री हरभजन सिंग परहार को जो कि भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र में एक स्थाई वैज्ञानिक सहायक (बी०) और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी०) है। 1 फरवरी, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशो तक इसी केन्द्र मे स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते है।

दिनाक 1 जून 1977

सं० पी० ए०/81(26)/77–आर०–4—भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के निदेशक, श्री कोट्टकापरमपिल फिलिपोज एलफोसे, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के एक अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी०) को 1 फरवरी, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशो तक, इसी केन्द्र मे स्थानापन्न वैज्ञानिक आफिसर/इजीनियर ग्रेड एस०बी० नियुक्त करते है।

पी० उन्नीकृष्णन्,
उपस्थापना अधिकारी (आर०)

बम्बई-85, दिनांक 5 जुलाई 1977

स० 5/1/77/स्थाप० II/2799—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियत्रक श्री० एस० ए० झा० सहायक लेखा अधिकारी को परिवर्ती उर्जा साइक्लोट्रान परियोजना, कलकत्ता मे 31 मई, 1977 तक अगले आदेशो तक लेखाधिकारी II के पद पर, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते है।

स० 5/1/77/स्थाप०II/2800—इस प्रभाग की तारीख 9 मई, 1977 की समसख्या/891 की अधिसूचना के आगे, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के नियंत्रक, श्री यू० आर० मेनन, सहायक को, इसी अनुसधान केन्द्र मे 26 फरवरी, 1977 से 23 मई, 1977 की अतिरिक्त अवधि के लिये, श्री एच० के० कपूर, सहायक कार्मिक अधिकारी के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, स्थानापन्न सहायक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० एस० मणी
उप स्थापना अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसधान सगठन

अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

अहमदाबाद-380053, दिनाक 26 सितम्बर 1977

स० अ० उ० के०/स्था०/ई० एफ० डी०/13/77. अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के निदेशक, इसी केन्द्र मे एक स्थायी वैज्ञानिक सहायक "बी०" श्रीमती एस० के दवे को वैज्ञानिक/इजीनियर एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप मे दिनाक 1 जनवरी, 1977 से आगामी आदेश तक नियुक्त करते है।

एस० जी० नायर
प्रधान, कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन

इसरो उपग्रह केन्द्र

पीण्या-562140, बंगलोर, 1977

सं० 020/3(061)/77, दिनाँक 29 सितम्बर, 1977—इसरो उपग्रह केन्द्र के निदेशक, निम्नलिखित व्यक्तियो को अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलौर मे, उनके नामो के सामने दिए गए पदो पर तथा प्रत्येक के सामने दी गई तारीखो के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप मे नियुक्त करते है.—

क्रम सं०	नाम	पदनाम	तारीख
1	श्री के० पी० मोहनन	इंजीनियर एस० बी०	1-6-1977
2	श्री डी० एल० शिरोलीकर	इजीनियर एस० बी०	6-6-1977
3.	श्री के० सेवियो सेवसतियन	इजीनियर एस० बी०	8-6 1977
4.	श्री बी० के० वेंकटारामू	इजीनियर एस० बी०	10-6-1977
5.	श्री एच० श्रीनिवासैया	इजीनियर एस० बी०	13-6-1977
6.	श्री एस० एन० प्रकाश	इंजीनियर एस० बी०	13-6-1977
7.	श्री सी० डी० श्रीधरा	इजीनियर एस० बी०	15-6-1977

क्रम सं०	नाम	पदनाम	तारीख
8	श्री एस० आर० चन्द्रप्पा	इंजीनियर एस० बी०	15-6-1977
9	श्री बी० श्रीधर मूर्ति	इंजीनियर एस० बी०	24-6-1977
10	श्री एन० शाम राव	इंजीनियर एस० बी०	27-6-1977
11.	श्री टी० के० सुन्दरा मूर्ति	इंजीनियर एस० बी०	7-7-1977
12.	श्री टी० के० रमेश	इंजीनियर एस० बी०	11-7-1977
13.	श्री के० मूत्तुस्वामी	इंजीनियर एस० बी०	11-7-1977
14.	श्री एक्कून्दी रंगनाथ सुब्बय्या	इंजीनियर एस० बी०	12-7-1977
15.	श्री के० परमेश्वरन	इंजीनियर एस० बी०	13-7-1977
16	श्री नितिन दामोदर घाटपाण्डे	इंजीनियर एस० बी०	13-7-1977
17.	श्री डी० के० बी० चौधरी	इंजीनियर एस० बी०	14-7-1977
18	श्री राजू एल्लर	इंजीनियर एस० बी०	14-7-1977
19.	श्री एस० वासुदेवन	इंजीनियर एस० बी०	15-7-1977
20	श्री बी० रामाकृष्णम राजू	इंजीनियर एस० बी०	19-7-1977
21.	कु० एस० उमा	इंजीनियर एस० बी०	27-7-1977
22.	श्री पी० वी० कृष्णा राव	इंजीनियर एस० बी०	4-8-1977
23	श्री के० नागेश्वर राव	इंजीनियर एस० बी०	10-8-1977
24	श्री सागर कुमार मित्रा	इंजीनियर एस० बी०	15-7-1977

वी० वी० एस० चौधरी, प्रशासन अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 13 अक्तूबर 1977

स० ई०(1) 00941—वेधशालाओं के महानिदेशक, श्री एल०आर० मीणा को 19 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक, भारत मौसम सेवा ग्रुप-बी० (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप-बी०) में मौसम विज्ञानी के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री मीणा को वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली, में तैनात किया गया है।

दिनांक 14 अक्तूबर 1977

स० ई०(1) 00934—वेधशालाओं के महानिदेशक, डा० एस० के० गुप्ता को 31 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक मौसम विज्ञान सेवा ग्रुप-बी० (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप-बी०) में सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

डा० गुप्ता को प्रादेशिक मौसम केन्द्र, बम्बई में तैनात किया जाता है।

गुरु मुख राम गुप्ता
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

नई दिल्ली-3, दिनांक 17 अक्तूबर 1977

स० ई० (1) 00909—वेधशालाओं के महानिदेशक श्रीमती जेहिरूनिशा बेगम को भारत मौसम सेवा, ग्रुप-बी० (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप-बी) में 30 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त करते हैं।

श्रीमती जेड० एन० बेगम की वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में तैनात किया जाता है।

सी० जी० बालासुब्रमणियन
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1977

स० ए० 38012/6/77-ई० एस०—क्षेत्रीय निदेशक, बंबई क्षेत्र, बंबई के कार्यालय के श्री एन० जान, विमान निरीक्षक ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 31 अगस्त, 1977 अपराह्न से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

वि० वि० जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनाक 12 अक्तूबर, 1977

स० क-19012/21/77-प्रशा० पाच—विभागीय पदोन्नति समिति (श्रेणी-ख) की सिफारिशो पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा श्री जे० डी० प्रयाग अनुसधान सहायक को रू० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान मे स्थायी आधार पर स्थानापन्न हैसियत से 12 सितम्बर, 1977 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसधान शाला पूणे में अनुसधान अधिकारी (इजीनियरिग) की श्रेणी मे नियुक्त करते है।

2. श्री जे० डी० प्रयाग सहायक अनुसधान अधिकारी (इंजीनियरिग) के केडर मे केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसधान शाला पुणे मे 12-9-1977 से दो वर्ष की परिवीक्षा काल मे होगे।

दिनाक 14 अक्तूबर 1977

सं० क-19012-3-77-प्रशासन-पाच—सघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशो पर अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग श्री राधेश्याम पारीक को केन्द्रीय जल आयोग मे अतिरिक्त सहायक निदेशक (हाइड्रोमेट) की श्रेणी मे रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान मे दिनाक 26 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप मे नियुक्त करते है।

2 श्री पारीक को केन्द्रीय जल आयोग मे दिनाक 26-9-77 (पूर्वाह्न) से अतिरिक्त सहायक निदेशक (हाइड्रोमेट) के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

3. श्री पारीक 26-9-77 से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगे।

4 श्री एस० पी० मित्तल वरिष्ठ व्यावसायिक सहायक (हाइड्रोमेट), जिन्हे इस आयोग की अधिसूचना स० क-190012/628/76 प्रशासन पाच 27-4-77 के द्वारा स्थानापन्न रूप मे तदर्थ आधार पर 9-2-77 से अतिरिक्त सहायक निदेशक (हाइड्रोमेट के पद पर नियुक्त किया गया था वे 26-9-77 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ व्यावसायिक सहायक (हाइड्रोमेट) के पद पर प्रत्यावर्तित हो गये है।

जे० के० साहा, अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

दक्षिण पूर्व रेलवे

कलकत्ता-45, दिनाक 7 अक्तूबर 1977

सं० पी०/जी०/14/300 एच (II)—इस रेलवे के सिगनल इजीनियरिग विभाग के निम्नाकित श्रेणी-II अधिकारियो का पुष्टीकरण उक्त विभाग मे श्रेणी II मे प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से किया जा रहा है —

1. श्री एम० एस० प्रसाद राव	1-12-1976
2 श्री बी० पी० रंगाराव	1-12-1976
3 श्री जी० सूर्यराव	1-12-1976
4. श्री बी० एल० दासगुप्ता	1-12-1976
5 श्री एम० सुब्रमणियम्	1-12-1976
6 श्री एन० एस० विष्णुनाथन्	1-12-1976

जगदीश नारायण कोहली
महाप्रबधक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी लॉ बोर्ड
कम्पनियो के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री धन लक्ष्मी कलर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 13 अक्तूबर 1977

स० 2594/एस० 560(5)/लिक्वि/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री धनलक्ष्मी कलर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और टवर लैन्स प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 13 अक्तूबर 1977

स० 5141/एल० आई० क्यू० एस०/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि टवर लैन्स प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री विल्लिपुत्तूर ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

स० 4197/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री विल्लिपुत्तूर ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मुत्तु पनमुग विलास ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास-6, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

स० 4348/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि मुत्तु पनमुग विलास ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर मे काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पपिया ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

स० 3731/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पपिया ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बनकडी टी० एस्टेटस प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

स० 4396/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बनकडी टी० एस्टेटस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री जयलक्ष्मी मर्चेन्ट चिट फड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

स० 2630/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री जयलक्ष्मी मर्चेन्ट चिट फड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और तिरुवारूर ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

स० 4652/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि तिरुवारूर ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

इन्डियन कम्पनी अधिनियम, 1913 और दि यूटिलिटीस (इडिया) लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय में।

मद्रास-6, दिनाक अक्तूबर 1977

स० 3139/लि क्रि०/247(5)/77—इन्डियन कम्पनी अधिनियम, 1913 की धारा 247 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दि यूटिलिटीस (इडिया) लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सी० अच्युतन
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और ममता फाईनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड (समापन मे) के विषय मे।

नई दिल्ली, दिनाक अक्तूबर 77

स० समापन/एच० 2501/77—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि ममता फाईनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड (समापन मे) का नाम आज रजिस्टर मे काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आर० के० अरोडा
सहायक रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
दिल्ली एव हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अधीन सूचना

कटक दिनाक 14 अक्तूबर, 1977

स० एल० 454/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले मे और पारादिप इन्जीनियरस प्राइवेट लिमिटेड के मामले कम्पनी अरजी न० 4/76 मे ऐडिशा स्थित उच्च न्यायालय के तारीख 26-8-77 के आदेश द्वारा पारादिप इन्जीनियरस प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन का आदेश दिया गया है।

डी० के० पाल
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
उड़िसा

कार्यालय, आय-कर अपील अधिकरण

बम्बई-400020, दिनाक 6 अक्तूबर, 1977

स० एफ 48-एडी(एटी)/77—

1 श्री एम० एम० प्रसाद, अधीक्षक, आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई, जिन्हे तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता मे सहायक पजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कटक न्यायपीठ, कटक मे दिनाक 1-4-1977 से 31-8-77

तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी गयी थी, (देखिये इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 1977), को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कटक न्यायपीठ, कटक में और छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 1-9-1977 से 28-2-1977 तक या तबतक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री एम० एम० प्रसाद को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

2. श्री वाई० बालसुब्रमनियम्, अधीक्षक, आय-कर अपील अधिकरण बम्बई न्यायपीठ, बम्बई जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में दिनांक 25-3-1977 से 31-8-1977 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी गयी थी, (देखिये, इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 1977) को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में और छह महीने के लिए अर्थात दिनांक 1-9-1977 से 28-2-1978 तक या तबतक जबतक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री वाई० बालसुब्रमनियम को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

3 श्री एस० वी० नारायणन्, वरिष्ठ आशुलिपिक आय-कर अपील अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ, हैदराबाद, जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कलकत्ता न्यायपीठ, कलकत्ता में दिनांक 11-3-1977 से 31-8-1977, तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी गयी थी, (देखिये, इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 1977,) को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कलकत्ता न्यायपीठ, कलकत्ता में और छह महीने के लिए अर्थात् 1-9-1977 से 28-2-1978 तक या तबतक जबतक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री एस० वी० नारायणन को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएँ न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

4. श्री ०यू एन० कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ आशुलिपिक, आय-कर अपील अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ हैदराबाद जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर में दिनांक 11-3-1977 से 31-8-1977 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी गयी थी, (देखिये इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 1977,) को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर में और छह महीने के लिए अर्थात् 1-9-1977 से 28-2-1978 तक या तबतक जबतक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री यू० कृष्णमूर्ति को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

एस० रंगानाथन
अध्यक्ष
आय-कर अपील अधिकरण,
बम्बई।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़-540004, दिनांक 18 अक्तूबर, 1977

निर्देश सं० 193/77-78/अर्जन——यतः, मुझे, डि० सि० राजागोपालन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 4/1, 4/3, 4/4, 5/2, 6/1 और 23/2 है, जो चित्रदुर्गा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चित्रदुर्गा अंडर डाकुमेंट नं० 1890/76-67 दिनांक 10-2-77 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती डी० के० सौंडरमल, (2) के० डि० दामोदरन (3) के० लक्ष्मीनारायणन, राजा स्ट्रीट कुमारपल्लयम, तामिलनाडु के वासी हैं।

(अन्तरक)

(2) श्री जयलक्ष्मी टेस्टेलस, चित्रादुर्गा, इसके म्नावेगिंग डायरेक्टर के द्वारा पेश किया है।

(1) श्री हनुमंतया रेड्डि

(2) श्री के० वीरभद्रप्पा चित्रादुर्गा का रविवासी हैं।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप.——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इममूवेबल प्रोपर्टि सीजरीगा 1,03,435 स्कार फीट चित्र दुर्गा मुनिसीपल का अंदर है। बंगले है।

(डि० सि० राजागोपालन)
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, धारवाड़।

तारीख : 18/10/77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ध (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/8647/76–77/एक्यू/डी०–यत, मुझे, जे० एस० राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 19/4 एफ० है, तथा जो फर्स्ट मैन, जय महल, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 17-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री नटवरलाल कुबरदास शा सुपुत्र श्री कुबर दास शा सं० 56, राजमहल विलास एक्सटेंशन, बेंगलूर ।
(अंतरक)

(2) श्रीमती सुनिता बडारी, पत्नि डा० राजेन्द्र बडारी, नं० 42, 5 वी मैन रोड, वैयानी कावल एक्स्टेंशन बेंगलूर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2332/76–77 ता० 17/2/77)

वर्तमान कारपोरेशन नं० 19/4 एफ, फर्स्ट मैन रोड जयमहल, बेंगलूर-6

बाध : उ० : नं० 10/4 एफ०,
द० : एस० एम० तुलशन
पू० : 30' रोड
प० : रोड

जे० एस० राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर ।

तारीख : 15-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 15 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० सी०आर० 62/8687/76-77/एक्यू०/डी --- यत , मुझे, जे० एम० राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 4 है, तथा जो आशले रोड, सिविल स्टेशन, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालयय, शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 3/2/1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) मैसर्स मोटर इन्डस्ट्रीज कं० लिमिटेड होसूर रोड, आडुमोडि, बंगलूर-30 ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कनक मोनी वेलायुधन नं० 4, आशले रोड़ बेंगलूर-25 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3102/76-77 ता० 3/2/77) ।

सारा सपत्ति का नं० 4, आशले रोड, सिविल स्टेशन, बेंगलूर ।

बाध : उ० : अलगप्प और रोड़,
द० : नं० 48, रिचमण्ड रोड,
पू० नं० 51, रिचमण्ड रोड
प० . पी० कोशी अमीन

जे० एम० राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख . 15/10/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977

निर्देश सं० सी०आर० 62/8704/76-77/एक्यु०/डी०:—यत., मुझे, जे० एस० राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 3001/1 है, तथा जो 2 मैन, वाणीविलास मोहल्ला मैसूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैसूर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 10/2/77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने मे सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्व श्री (1) आर० रंगय्या,
(2) पुशपावति
(3) रंगम्मा,
(4) डी० रंगय्या,

1549 कोलद सोंदी, बीदी, लेशकर मोहल्ला, मैसूर।

(अन्तरक)

(2) श्री सी० राजन्ना सुपुत्र चिटलि रंगय्या 198, क्षेत्रय्या रोड, कृष्ण राजा मोहल्ला, मैसूर ।

(अन्तरिती)

(3) 1. श्री ए० एन० अनन्थनारायन,
(2) श्रीमती ए० एन० रूक्मिनम्मा ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1580/76-77 ता० 10/2/77)

3001/1, दूसरा मैन, वानीविलास मोहल्ला, मैसूर ।

बाध : पू० : दूसरा मैन,
प० : कनमटवेनसी,
द० : 3001
उ० . न० 3002

जे० एस. राव,
सक्षम प्राधिकरी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 15/10/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 19 अक्तूबर 1977

निर्देश स० 8837/76-77—यतः, मुझे, जे० एस० राव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० न० 3, सैकंड क्राम है, तथा जो रामास्वामी लै आउट, बैंगलोर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बस्वान मागुडी, बैंगलोर, डाकूमेंट नं० 1941/76-77 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 24-2-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० रामास्वामी (स्वर्गीय) थीमयाह पोलिस स्टेशन रोड़, बैंगलोर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री मुहम्मद उसमान सुपुत्र शेख उमर, स्क्रेप अर्डरन मरचैंट न० 13, सुशीला रोड़ II क्रास बैंगलोर

2. श्री सैयद अमीर सुपुत्र सैयद अमीर 2, पारवती पूरम बैंगलोर।

(अन्तरिती)

(3) 1. श्री एम० ए० बालजी सिंह 3, II क्रास, रामास्वामी लैन, रामास्वामी लै आउट, बैंगलोर, 2. श्री के० ई० श्रीनिवासन, 3/2।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1941/76-77 ता० 24-2-77)।

प्रापर्टी नं० 3, सैकंड क्रास रामास्वामी लैन, रामास्वामी लै आउट, बैंगलोर।

बाद :

पूरब : रामास्वामी लैन
पश्चिम : सीता रामायाह का घर
उत्तर : सुमती बैन्कटेश का घर
दक्षिण : प्राईवेट जायदाद।

जे० एस० राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 19-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977

निदेश स० सी० आर० नं० 62/9158/76-77/एक्यू०/डी०:—यतः, मुझे, जे० एस० राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 25 है, तथा जो शिवनहल्ली, यशवंत पुर होबली, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजाजी-नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 21/2/1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दि० करनाटक अरबन सिटिसन हौसिंग सोसाइटी, स० 1115, III क्रास, 9 मैन रोड़, श्रीरामपुरम, बेंगलूर-21 ।

(अन्तरक)

(2) असंमशन स्कूल असंमशन चर्च II ब्लाक राजाजी-नगर, बेंगलूर-10.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3160/76-77 ता० 21/2/77) ।

सारा संपत्ती का जो स० 25, शिवनहल्ली, यशवतपुर होबली बेंगलूर उत्तर तालूक, (जवा स्टेज 1, । फेस, वेस्ट आफ, क्रास, रोड़, राजाजीनगर, बेंगलूर । (एक एकड़) ।

बाध : पू० : एस० एम० हनुमंतप्पा का)
प० : स० नं० 25
उ० : 25 रोड
द० : 60' रोड़

जे० एम० राव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 15-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 29 सितम्बर, 1977

निदेश स० 4199/76-77:—यतः, मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 25, नार्त एक्स्टण्शन मेट्टुपालयम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेट्टुपालयम (डाकुमेण्ट 92/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती आयशा बाय ।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० मोहम्मद हनीफा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मेट्टूपालयम, नार्त एक्स्टण्शन, डोर स० 25 में भूमि और मकान ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 29-9-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II

मद्रास-600006, दिनाक 29 सितम्बर, 1977

निदेश सं० 4206/76-77—यतः, मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 22/432, राजा स्ट्रीट कोटाम्बत्तूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, (234/77) कोयम्बत्तूर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-2-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य

से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती रानेल साक बाटा ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० श्रीनिवास चेट्टियार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बत्तूर, राजा स्ट्रीट, डोर सं० 22/432 (नया टी० एस० 1096/भाग) में भूमि और मकान ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 29-9-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 29 सितम्बर, 1977

निदेश स० 4207/76-77:—यतः, मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं०डोर स० 26/198, बीग बाजार स्ट्रीट, कोयम्बत्तूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बत्तूर (डाकुमेण्ट 242/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-2-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० आर० वासुदेव राय ।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० बालवेकटराम चेट्टियार ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोयम्बत्तूर, बीग बाजार स्ट्रीट, नया डोर सं० 26/198 में 2648 स्क्वयर फीट का भूमि (मकान के साथ) ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास ।

तारीख : 29-9-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 3 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० 5487/76-77.—यतः, मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 47 बी०, मौब्रेस रोड, आल्वारपेट, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर, मद्रास (डाकुमेण्ट 161/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सी० आर० सुन्दरम, श्रीमती मीनाक्षी सुन्दरम और श्री सी० आरियामा सुन्दरम।

(अन्तरक)

(2) श्री जी० रामकृष्णन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, आल्वारपेट, मौब्रेस रोड, डोर सं० 47 बी० में 1 ग्राउण्ड और 2228 स्क्वेयर फीट का भूमि (मकान के साथ)।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास।

तारीख : 3-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II

मद्रास, दिनांक 3 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० 5502/76-77—यतः, मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० और जिसकी सं० 21 ए, मेडिल रोड, टी० नगर, मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० 1, मद्रास, नार्थ डाकुमेण्ट 761) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26 मार्च, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरण (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० डी० रामसुब्रमनियम और एस०, जमुना।

(अन्तरक)

(2) श्री डी० कमारुतीन और के० ए० एस० मोहम्मद इब्राहिम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास 17, टी० नगर, मेडिल रोड, डोर सं० 21 ए० में भूमि और मकान, (डाकुमेन्ट स० 761)।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास।

दिनांक : 3 अक्तूबर, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 5 अक्तूबर, 1977

सं० एफ० 5489/76-77—यतः मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० 60/1 एडवार्ड एलियास रोड, मैलापुर, मद्रास में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर (मद्रास) डाकुमेण्ट 176/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 5 मार्च, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी राशि को धारा उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या लाभ धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्.—

(1) श्रीमती टी० एस० रंगनायकि

(अन्तरक)

(2) मैसर्स अशो इण्डिया लिमिटेड ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास, मैलापुर, एडवार्ड एलियास रोड, डोर सं०, 60/1, में 8.46 ग्राउण्ड (मकान के साथ) (नया टी० एस० सं० 1071/21) ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास ।

दिनांक : 5 अक्तूबर, 1977
मोहर.

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I

मद्रास, दिनांक 13 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० 1/ Feb./77—यतः, मुझे, जी० रामनाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 75/13, पूनमल्ली है रोड, मदरास-10, है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरियमेट, मदरास (पत्र सं० 63/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-2-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती के० राजम्मा।

(अन्तरक)

(2) श्री जे० गोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदरास-10, पूनमल्ली है रोड डोर सं० 75/13 में 2 ग्राउन्ड और 1422 स्क्वयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

जी० रामानाथन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 13-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, I मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

निदेश सं० 22/एफ०ई०बी०/77:—यतः, मुझे, जी० रामनाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 8, नार्त वेली स्ट्रीट और 34, क्राण रायर है, जो तप्पकुलम स्ट्रीट, मदुरै में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुतुमन्डपम (पत्र स० 142/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; [और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

ए न० नारायणन और आदी ।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० एम० मोहनराम ।

(अन्तरिती)

(3) (1) के० के० एस० सामि, (2) मीनाकक्षी मोटर्स, (3) पी० सूर्यनारायणन, (4) वी० एस० कृष्णन, (5) रतिनम, (6) ए० एम० एस० पेच्ची अम्माल, (7) एन० कृष्णमूर्ती, (8) नटराजन, (9) एस० बालकृष्णन, (10) टी० नारायणन, (11) जी० सुन्दरसन, (12) वी० सुब्रमणिनिन ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप .—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै नार्त वेली स्ट्रीट, डोर स० 8, और कृष्णनरायर तेप्प कुलम स्ट्रीट डोर स० 34(टी०एस० स०738) में 1060 स्क्वेयर फीट की भूमि (मकान के साथ) ।

जी० रामनाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 14-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० 34/एफ० ई० बी०/77—यतः, मुझे, जी० रामनातन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 156, 157 और 158 है, जो सालै स्ट्रीट रामनातपुरम मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रामनातपुर (पत्र सं० 41/1977) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-2-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री एम० एम० सुलतान इब्राहीम अदहम।

(अन्तरक)

(2) श्री ऊम्मूल रवीमाल अवाबीया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रामनातपुरम, सालै स्ट्रीट, डोर सं० 156, 157 और 158 में 3480 स्कूयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

जी० रामानाथन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज- , मद्रास

तारीख: 17 अक्तूबर, 1977

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 अक्तूबर 1977

निदेश सं० 42/एफइर्इ./77——यत:, मुझे, जी० रामनातन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 45, है जो II अग्रहारम स्ट्रीट सेलम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सेलम (पत्र सं० 229/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-2-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० के० राजेन्द्र राव और टी० के० गोविन्द राव।

(अन्तरक)

(2) श्री के० भानु गोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सेलम II अग्रहारम स्ट्रीट डोर सं० 45 में 2840 ½ स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ) (टी० एस० सं० 19-दक्षिण भाग)।

जी० रामनातन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 17-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II

मद्रास-600006, दिनाक 15 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० 4223/76-77—यत:, मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० सैट 106, सित्रा नायुडु ले आउट, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट 365/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-2-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण मे, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री एम० दामोदरन चेट्टियार ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती खमरुन्निसा बेगम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, सित्रा नायुडु ले आउट, सैट 106, मे 5404 स्कुयर फीट का भूमि (मकान के साथ) ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–II, मद्रास ।

तारीख : 15-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० 4224/76–77—यतः, मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 8/2, गोपालपुरम दूसरा स्ट्रीट, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बतूर (डाकूमेण्ट 379/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21–2–1977

को उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल

के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सर्वश्री (1) ए० आर० श्रीनिवासन ;
(2) ए० आर० गोपिनाथ;
(3) ए० जी० सुन्दरराजन;
(4) जी० जय श्री;
(5) एस० वेन्कटेशमन (मैनर) ;
(6) ए० आर० वासुदेवन,
(7) वी० सुन्दरराजन;
(8) वी० वेन्कटेसन,
(9) वी० श्रीनाथ;
(10) राजलक्ष्मी;
(11) कमलाम्माल;
(12) ए० आर० कृष्णमूर्ती;
(13) ए० आर० अच्युतन,
(14) ए० आर० लक्ष्मी;
(15) ए० आर० वसन्ता;
(16) ए० आर० अलमेलु;
(17) पद्मावती ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० गोविन्दराजू नायुडू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोयम्बतूर, गोपालपुरम दूसरा स्ट्रीट, डोर सं० 8/2 में 16 1/2 सेन्ट का भूमि (मकान के साथ) (नया टी० एस० सं० 1241) ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 15–10–1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II

मद्रास 600006, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० एफ० 5456/76–77—यत, मुझे, के० पोन्नन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० 3, जोसियर स्ट्रीट है तथा जो मद्रास 34, मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर, मद्रास (डाकुमेण्ट 45/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3–2–1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

5—316GI/77

(1) आर० कृष्णमूर्ती ;
(2) आर० पर्वतवर्तनि अम्माल ;
(3) के० राजगोपाल ,
(4) के० रामरत्नम ;
(5) के० लक्ष्मीनिरायणन ;
(6) के० कृष्णकुमार ;

(अन्तरक)

एफ० 5456/76 77
(2) श्रीमती एस० जोती ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास 34, जोसियर स्ट्रीट, डोर स० 3 मे 2 ग्राउण्ड और 216 स्कूयर फीट ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 15–10–77
मोहर .

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 बम्बई

बम्बई, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

निदश सं० एआर-I/1944-1/फरवरी 77—अत. मुझे एफ० जे० फर्नान्डीज्

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० सी० एस० नं० 886 का वरली डिवीजन है तथा जो वरली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक 5-2-1977 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स, स्काई कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन,
(अन्तरक)

(2) मैसर्स, सी० ब्रिझे को० आप० हाउ० सो० लि०
(अन्तरिती)

(3) किराएदार
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख न० 2182/68/ बम्बई उप-रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 5-2-77 को रजिस्टर्ड किया गया ह।

एफ० जे० फर्नान्डीज्
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन इलाका -1, बम्ब

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, बम्बई

बम्बई, दिनाक 15 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० अ०ई०-I/1961-18/फरवरी 77—अत. मुझे, एफ० जे० फर्नान्डीज्,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० सी० एस० न० 238 (भाग) परेल सिवड़ी डिवीजन है तथा जो ठकर्सी जीवराज रोड मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पुर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 17) के अधीन, दिनाक 19-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् .—

(1) दी एलिफिस्टन्स स्प्रीग और विविग मिल्स क० लि०

(अन्तरक)

(2) वेस्टर्न इंडिया वारहाउसिग क०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क मे यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

अनुसूची जैसी कि विलेख न० 929/71/बम्बई उप रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनाक 19-2-1977 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एफ० जे० फर्नान्डीज
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन इलाका 1, बम्बई

दिनाक 15 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 17 अक्तूबर 1977

निर्देश स० अ० इ० 2/2378-4/फर-77——अतः मुझे, वी० एस० महाजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० अंतिम प्लाट न० 80, टी० पी० एस० 6 है तथ. जो विलेपार्ले, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई, मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 23-2-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्री वल्लभदास मगनलाल शेठ

(अन्तरक)

(2) वर्मा विला को० आ० हाउ० सो० लि०

(अन्तरिती)

(3) 1. श्री एल० ए० मिस्त्री, 2. श्री सी० एम० टंक 3. श्री आर० जी० मिस्त्री, 4. श्री के० वी० मेधानी, 5. श्री ए० पी० गाधी, 6. श्री एन० सी० व्यास 7. श्री डी० के० सुरैया, 8. श्री आर० बी० शाह 9. श्री सी० जे० देसाई, 10. श्री डी० एम० व्यास 11. श्रीमती वी० ए० सेठ, 12. श्री एस० बी० कोठारी 13. श्री एच० डी० वोरा, 14. श्री के० एस० शाह, 15 श्री एस० वाई० काजी, 16. श्री एम०डी० मनीम 17. श्री ए० जी० कंसारा, 18. श्री एम० एस० राव 19. श्री के० सी० पारिख, 20. श्री जे० आर० गाधी 21. श्री बी० एम० भटिया, 22 श्री जे० एम० पारिख 23. श्री पी० ए० मखिया, 24. श्री सी० डी० श्रोफ 25. श्री यू०बी०उपाध्याय 26. श्री आई०आर०दोशी 27. श्री एच० बी० देसाई 28. श्री वी० एम० मेहता 29. श्री एस० जे० मेवानी 30. श्रीमती एम० एस० गरोडिया 31. श्री आई० एन० देसाई 32. श्रीमती एम० सी० गाधी 33. श्री ए० एन० जनोदिया 34. श्रीमती एन० वी० गाधी 35. श्री बी० एस० गाधी 36. श्री एन० एन० श्रोफ 37. श्री पी० टी० पारिख 38. श्रीमती यू० सी० शाह 39. श्री आर० एन० शाह 40. श्री आई० सी० शुक्ला और 41. श्री विपिन ए० शाह

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) 1. श्री एम० सदानंद राव, 2. श्री मिश्रीलालजी आनंजी 3. श्री मिस्त्री छगण मोहन टंक 4. श्री मिस्त्री रामजी गोरधन 5. श्री बी० एम० अन्तानी 6. श्री जितेन्द्र मातीलाल पारीख 7. श्री प्रमजी अर्जन मेखीया 8. श्रीमती कचनबेन बी० मेथानी 9. श्री चद्रकांत डी० शरीफ 10. श्री एण्ड श्रीमती विजयचंद्र वी० उपाध्याय 11. श्रीमती इंद्रबेन आर० दोशी 12. श्री एण्ड श्रीमती नरेशचन्द्र व्यास 13. और श्रीवल्लभदास शिवललाल शाह 14. श्री हिरुभाई बी० देसाई 15. श्री वसतराय मोहनलाल मेहता 16. श्रीमती चंपाबे डी० मेहता और चन्द्रकांत डी० मेहता 17. श्री शाह रानमल भोजा 18. श्री एण्ड श्रीमती छोटूभाई जे० देसाई 19. श्रीमती मजुला सुरेशचंद्र गोराडीया 20. श्री रसिकलाल केशवलाल भट्ट 21. श्रीमती ज्योत्स्ना रसिकलाल भट्ट 22. श्रीमती अदीतबेन चिमनलाल जोशी श्रीमती पुष्पाबेन भगवतप्रसाद जोशी 23. श्री भुपेन्द्र छोटालाल शाह 24. श्रीमती निर्मलाबेन बी० बघी 25. श्री ईश्वर लाल नागरजी देसाई 26. श्री सुरेशचन्द्र बी० कोठारी 27. श्रीमती विजयबेन छोटा लाल शाह

28. श्री और श्रीमती नलीनकांत एन० वोथोफ 29. श्री प्रफुल जयतीलाल पारीख 30. श्रीमती उर्मीला भगवानदास शाह 31. श्री किर्तीलाल शंकरलाल शी शाह 32. श्रीमती विविध कन्ट्रक्शन कं० 33. श्री बी० एन० शाह 34. श्री इन्द्रबेन चुनिलाल शुक्ला 35 श्री बिपिनचंद्र ए० शाह 36. श्री महेन्द्र कुमार डी० मुनी 37. श्रीचेतन कुमार वीरचन्द्र मोदी 38. केशललाल के० वर्मा

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधीहस्ताक्षर जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा विलेख न० 4940/72/आर० बम्बई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनाक 23-2-1977 को रजिस्टर्ड किया गया है।

वी० एस० महाजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन इलाका-2, बम्बई

दिनांक 17 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II बम्बई

बम्बई, दिनांक 18 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० अ० ई० 2/2377-3/फर० 77 —अतः मुझे वी० एस० महाजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी स०

प्लाट न० 7-बी एन० ए० स०न 57 बी० है तथा जो जुहू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 24-2-77 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री दारा जहांगीर कामा
(अन्तरक)

(2) कामा कामा को० आप० हाउ० सो० लिमिटेड
(अन्तरिती)

(3) 1 श्रीमती नरगीस श्रीचद राजानी
2. श्री मीनु गाधी और श्रीमती नवीले मीनु गाधी
3. श्री इरुच अरदेशीर दस्तुर
4. श्रीमती आलु बेजान देवर
5. श्रीमती दीनशाह ए० मरचट
6 श्रीमती नरगीस बेहराम एदुलकीया
7. श्रीमती रुटारुखा गीनवाला
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) 1. श्रीमती हीला दारा कामा
2 श्रीमती नरगीस एस० राजानी
3. श्रीमती रोशनी बी० सेथना
4 श्री इरुच ए० दस्तुर
5. श्रीमती आलु० बी० देवर
6. श्रीमती धुना एफ० खतीवाला
7. श्री होमी जाल पस्ताकीया
8 श्रीमती रुटी रुसा गीनवाला
9 श्रीमती नरगीस बेकी
10. श्रीमती नरगीस बेहराम एदुलकाका
11. श्री दीनशाह एच० वारीया
(वह व्यक्ति, जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अनुसूची जैसा विलेख न० 896/71/आर बम्बई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 24-2-1977 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

वी० एम० महाजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेन्ज 2 बम्बई

दिनांक : 18 अक्तूबर 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-I, बम्बई

बम्बई, दिनाक 19 अक्तूबर 1977

निर्देश स० अ० ई० 1/1950-7/फर०77—अत. मुझे एफ० जे० फर्नान्डीज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० न० 711 का मालवार और कबाला हिल डिवीजन है तथा जो डा० जी० देशमुख मार्ग मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 3-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पुखराज एल० जैन और अन्य
(अन्तरक)

(2) कल्पतरू अपार्टमेंट को० आप० हाउ० सो० लि०
(अन्तरिती)

(3) सोसायटी के सदस्य
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पति है)

(4) सोसायटी के सदस्य
(वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सख्या 1686/72/बम्बई/उपरजिस्ट्रार अधिकारी दिनाक 3/2/77 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एफ० जे० फर्नान्डीज़
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेज, बम्बई

दिनाक : 19 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम
एरणाकुलम दिनांक 11 अक्तूबर 1977

निर्देश स० एल० सी० 147/77-78—अतः मुझे, सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है, जो मुट्टुलरा विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरुवनन्तपुरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 (1) श्रीमती अमीश बीबी
(2) नफीसत बीबी
(3) शाहुल हमीद
(4) मुहम्मद यसुफ

(अन्तरक)

2. (1) श्री एम० एम० हनीफा साहिब
(2) श्रीमती अस्मा बेगम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

20 Cents of land with buildings No. TC. 40/163 in Muttathara village Sy. No. 246/3, Trivandrum District.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 11-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-15, दिनांक 13 अक्तूबर 1977

निदेश सं० एल० सी० 148/76-77—यतः मुझे, सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है जो एरणाकुलम विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एरणाकुलम, में भारतीय रजिट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

6—316GI/77

1. श्रीमती बीवि, कोच्चिन-11

(अन्तरक)

2. (1) श्रीमती वी० के० सुहरा,

(2) श्री सादिक (संरक्षक, मुहम्मद के द्वारा)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

14 Cents of land with building No. XXXVII/985 in Ernakulam Village Sy. No. 455/6 vide schedule to doc. No. 308/1977.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 13-10-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/48/77-78—यत. मुझे, ह० च० श्रीवास्तव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान, प्लाट न० 81 है, तथा जो गोंदिया जिला भंडारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गोंदिया में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मार्च, अप्रैल और मई, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री धनराज चन्द हरगुनदास ठकराणी, सीधी कालोनी, गोंदिया, जिला भंडारा

(अन्तरक)

2. (1) श्री गोपीबाई ज्ञानदेवी हसरानी, गोंदिया
(2) श्री आसनदास खुशालदास तनवानी, साकोली
(3) श्री राजकुमार खुशालदास तनवानी, साकोली
(4) श्री अर्जुनदास खुशालदास तनवानी, साकोली
(5) सौ० दादाबाई बिलदरराव कुदनानी, गोंदिया
(6) श्री मनोहरलाल लक्ष्मीनारायण तिवारी, गोंदिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खाता गोंदिया खाता न० 76, तहसील, गोंदिया लक्ष्मीबाई, वार्ड, स्थित शिट न० 19 प्लाट न० 81 एरिया 4660 स्क्वेअर फिट।

ह० च० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, नागपुर

तारीख : 15, अक्तूबर, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 15 अक्तूबर 1977

निदेश स० ए० पी० 43/77-78—यत: मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो नकोदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाल चन्द सुपुत्र दाल चन्द मकान न० 232, कृष्ण नगर, जालन्धर (अन्तरक)
2. श्री निहाल चन्द सुपुत्र दरिया राम, प्रहलाद चन्द, केवल कृष्ण सुपुत्र निहाल चन्द, मोहल्ला राजपूता नूरमहल चौक, पोस्ट आफिस रोड, नकोदर। (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्री न० 3045 तारीख 28-2-77 सब-रजिस्ट्रार नकोदर में है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 15-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 18 अक्तूबर 1977

निदेश न० ए० पी० 44/77-78—यतः मुझे पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिस की सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोटपूर्ण सिंह मे स्थित है (और इससे उपावद्ध अनूसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री जोगिन्द्र सिंह बेटा गूरबचन सिंह वासी कोट पूर्ण सिंह तहसील फगवाड़ा
(अन्तरक)

(2) श्री दलीप सिंह पुत्र चैन सिंह वासी चाहलपुर तहसील गढ़शकर
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 में है ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

36 कनाल जमीन गाव कोट पूर्ण सिंह मे जैसा कि रजिस्ट्रीकृत न० 1754 फरवरी 1977 मे लिखा है ।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक 18-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 19 अक्तूबर 1977

निदेश न० ए० पी० 46/77-78—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो कोट पूर्ण सिंह में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1977
को उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्न लिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह वासी कोटपूर्ण सिंह तहसील फगवाड़ा ।
(अन्तरक)

(2) श्री भजन सिंह बेटा चैन सिंह वासी चाहलपुर तहसील गढ़शंकर (होशियारपुर)
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित, है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोट पूर्णसिंह गाव में 36 कनाल जमीन जैसा कि रजिस्ट्री न० 1755 फरवरी 1977 सब तहसील फगवाड़ा में है ।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक : 18 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप ग्राइ० टी० एन० एस०———

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के ग्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 18 ग्रक्तूबर 1977

निदेश नं० ए० पी० 45/77-78—यत:, मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से ग्रधिक है

ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि ग्रनुसूची में लिखा है। तथा जो कोट पूर्ण सिंह में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए ग्रन्तरित की गई है ग्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से ग्रधिक है ग्रौर ग्रन्तरक (ग्रन्तरकों) ग्रौर ग्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत, उक्त ग्रधिनियम, के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रौर/या

(ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या ग्रन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ग्रत: ग्रब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269 ग के ग्रनुसरण में, मैं, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, ग्रर्थात् :—

(1) श्री हरमिन्द्र सिंह बेटा गुरबख्श सिंह वासी कोट पूर्ण सिंह तहसील, फगवाड़ा।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री खेल सिंह बेटा चैन सिंह वासी माहलपुर तहसील गढ़शंकर।

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ग्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी ग्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त ग्रधिनियम, के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही ग्रर्थ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

ग्रनुसूची

कोट पूर्ण सिंह में 36 कनाल जमीन जैसा कि रजिस्ट्री नं० 1753 फरवरी 1977 सब रजिस्ट्रार फगवाड़ा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण),
ग्रर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक : 18 ग्रक्तूबर 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 18 अक्तूबर 1977

निदेश नं० ए० पी० 47/77-78—यतः मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट पूर्ण सिंह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री पुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह वासी कोट पूर्ण सिंह तहसील फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरनाम सिंह पुत्र चैन सिंह वासी चाहलपुर तहसील गढ़शंकर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति, में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

36 कनाल जमीन गांव कोट पूर्ण सिंह में जैसा कि रजिस्ट्री नं० 1756 तारीख फरवरी 1977 सब तहसील फगवाड़ा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक : 18 अक्तूबर 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक 19 फरवरी 1977

निदेश नं० ए० पी० 48/77-78—यतः मुझे, पी० एन० मलिक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिस की स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मोगा महिला सिंह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बलवन्त सिंह पुत्र फुमन सिंह पुत्र हीरा सिंह वासी मोगा महिला सिंह (अगवाड कुमीका)
(अन्तरक)

(2) श्री दर्शन सिंह पुत्र हाकिम सिंह मारफत मालवा इंडस्ट्रीज कारपोरेशन नजदीक टाउन हाल मोगा
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

7½ मरले जगह में दो मंजली बिल्डिंग मोगा महिला सिंह में जैसा कि रजिस्ट्री नं० 6379 तारीख 1977 फरवरी में लिखा है ।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक : 19 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० नं० 459—यत: मुझे, एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-2-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जि० व्यालो नारायणो हरी, तेनाली

(अन्तरक)

(2) 1. श्री कोडाली नागेश्वर राव
2. श्री कोडाली रविकुमार
3. पालडुगु वेंकटेश्वरराव
4. श्री एलवर्ती गोपालराव
5 श्री जोन्नलगड्डा वेंकटसुब्रह्मनयम
6. श्री कारेमपूडी देव कृपाकराराव

श्री लक्ष्मी सत्यन्नारायण रैस एण्ड आयल मिल तेनाली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 352/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा।

दिनांक 6 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० नं० 460—यतः मुझे, एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-2-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती इम्मिडी वेंकटरत्नम्मा तेनाली

(अन्तरक)

(2) 1. श्री कोडाली नागेश्वर राव
2. श्री कोडाली रविकुमार
3. श्री पालडुगु वेंकटेश्वरराव
4. श्री एलवर्ती गोपालराव
5. जोन्नलगड्डा वेंकटसुब्रह्मनयम
6 कारेमपूडी देव कृपाकराराव
श्री लक्ष्मी सत्यनारायण रैस एण्ड आयल मिल तेनाली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 353/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक. 6 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० 461—यत', मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तेनाली मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-2-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :—

(1) 1. श्री अलपाटी वीरभद्रपाणि
2. श्री अलपाटी नारायण मूर्ती
3. श्री वेंकट नागराधकृष्ण मूर्ती
4. श्री अलपाटी रमेश कुमार
5. श्रीमती अलपाटी हेमावति पोभूरू

(अन्तरक)

(2) श्री कोडाली नागेश्वर राव
2. श्री कोडाली रविकुमार
3. श्री पालडुगु वेंकटेश्वरराव
4. श्री एलवर्ती गोपालराव
5. श्री जोन्नलगड्डा वेंकटसुब्रह्मनयम
6. श्री कारेमपूडी देव कृपाकरराव
श्री लक्ष्मी सत्यनारायण राईस एण्ड आयल मिल, तेनाली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षे, —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 358/77 मे निर्गमित अनुसूची संपत्ती ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक : 6-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाड, दिनाक 6 अक्तूबर 1977

सं० नं० 462—यत: मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-2-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात्:—

(1) श्री बि० भव्रय्या
2. श्री अलपाटि बसव पुन्नाराव तुमुलूरू,
3. श्रीमती बि० अलिवेलु मगम्मायारम्मा रेपल्ले
(अन्तरक)

(2) 1. श्री काडली नागेश्वरराव
2. श्री काडाली रविकुमार
3. श्री पालडुगु वेंकटेश्वरराव
4. श्री एलवर्ती गोपालराव
5. श्री जोम्मकगड्डा वेंकट सुब्रहमनयम
6. श्री कारेमपूडी देव कृपाकरराव
श्री लक्ष्मी सत्यनारायण एण्ड आयल मिल, तेनाली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 359/77 मे निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक : 6-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० 463—यत मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 153, 1-1-1 है, जो तेनाली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-2-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्.—

1. (1) श्री टि० अरुण कुमार (2) टि० मोहन कृष्टण प्रसाद (3) टि० श्रीनिवासा प्रसाद, (4) टि० कासी विश्वनादम, तेनाली ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री कोडाली नागेस्वर राव
(2) श्री कोडाली रविकुमार
(3) श्री पालड्गु वेंकटेस्वरराव
(4) श्री एलवर्ती गोपालाराव
(5) श्री जोन्नलगड्डा वेंकटसुब्रहमनयम
(6) श्री कारेमपूडी दैव कृपाकररराव, श्री लक्ष्मी सत्य नारायण राईस एण्ड आलय मिल, तैनाली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28—2—77 मे पंजीकृत दस्तावेज नं० 361/77 मे निगमित अनुसूची संपत्ती/और इनजन और बाथलर ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा ।

तारीख : 6—10—77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० 464 :—यत. मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-2-77 को

पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री कुचिमंचि वेंकाद्री नरसिंहाराव
(2) कुचिमंचि वेंकटेश्वरप्रसाद
(3) कुचिमंचि हरिकिशोर। } तेनाली

(अन्तरक)

2. (1) श्री वाडाली नागेस्वरराव
(2) श्री वाडाली रविकुमार
(3) श्री पालडुगु वेंकटेस्वरराव
(4) श्री एलवर्ती गोपालाराव
(5) श्री जोसकंगड्डा वेंकट सुब्रह्मण्यम
(6) श्री बारेमपूडी दैव कृपाकरराव

श्री लक्ष्मी सत्यनारायण राईस अण्ड आयल मिल, तेनाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सपत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 363/77 मे निगमित अनुसूची सपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 6-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० नं० 465—यत:, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-2-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री कूनाला राम पुरुषोत्तम
   (2) कूनाला नागभेस्वर
   (3) कूनाला राम शंकर
   (4) कूनाला नाग श्रीनिवास दुग्गिराला

(अन्तरक)

2. (1) श्री काडाली नागेस्वरराव
   (2) श्री काडाली रविकुमार
   (3) श्री पालड्गु वेंकटेस्वरराव
   (4) श्री गुलवर्ती गोपाला राव
   (5) श्री जोन्नलगड्डा वेंकट सुब्रह्मन्यम
   (6) श्री करेसपूडी देव कृपाकरराव

   श्री लक्ष्मी सत्यनारायण रैसअण्ड आयल मिल, तेनाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 373/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 6-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० नं० 466—यत: मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1, है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-2-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री इम्मिडि वेंकटराव
   (2) इम्मिडि गुरुनादम। } तेनाली

(अन्तरक)

2. (1) श्री कोडालि नागेस्वरराव
   (2) श्री कोडालि रविकुमार
   (3) श्री पालडुगु वेंकटेस्वरराव
   (4) श्री एलवर्ती गोपाला राव
   (5) श्री जोन्नगड्डा वेंकट सुब्रह्मनयम
   (6) श्री कारेमपूडा देवकृपाकरा राव
   श्री लक्ष्मी सत्यनारायण रेस अण्ड आयल मिल तेनाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28; 2-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 380/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक 6-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० नं० 467.—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1 (1) श्री कूनाला मल्लिकार्जुनराव
(2) श्री कूनाला पूर्नानंदराव
(3) श्री कूनाला वेंकट पूर्ना नागेस्वर राव
(4) श्री कूनाला शनमुक प्रसाद,
(5) श्री के० राघवेन्द्रराव
(6) श्री के० साबशिव राव ईमानी

(अन्तरक)

2. (1) श्री कोडालि नागेस्वरराव
(2) श्री कोडालि रविकुमार
(3) श्री पालडगु वेंकटेस्वरराव
(4) एलवर्ती गोपालराव
(5) श्री जोन्नलगड्डा वेंकटसुब्रहमनयम
(6) श्री कारमपूडी वेंकटपा रा राव
श्री लक्ष्मी सत्यनारायण रैस अण्ड आयल मिल, तेनाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 399/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख: 6-10-77
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० 468—यत: मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कुनाला बसवपुन्नय्या, (2) के० रामा गुरुनाथम, (3) के० एम० निरिस्वराराव, (4) के० सगमेस्वर राव, (5) के० सत्यन्नारायण, (6) के० वेंकटा रमेश, (7) के० वेंकटा सिव पांडु रामाराव इमानी,

(अन्तरक)

(2) (1) श्री कोडालि नागेस्वरराव,

(2) श्री कोडालि रविकुमार

(3) श्री पालड्गु वेंकटेस्वरराव

(4) श्री एलवर्ती गोपालाराव

(5) श्री जोन्नलगड्डा वेंकट सुब्रह्मनयम

(6) श्री कारेमपूडी देवकृपाकरा राव

श्री लक्ष्मी सत्यन्नारायण रैस एन्ड आयल मिल, तैनाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सपत्ति के अर्जन के संबध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाँक्षिक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 406/77 मे निगमित अनुसूची सपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 6-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 19 अक्तूबर 1977

सं० 469—यतः मुझे, एन० के० नागराजन,
सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी स० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-77
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) श्री के० वेंकटेस्वरलु, तेनाली
(2) श्री के० वेंकटानागावस्व प्रसाद तेनाली
(3) श्री के० सिवरामा कृष्णय्या तेनाली
(4) श्री के० बदारी नारायण तेनाली
(5) श्री के० श्रीनिवास तेनाली
(6) श्रीमती टी० श्रीरम्मा ,,
(7) श्रीमती टी० सुब्बाम्मा ,,
(8) श्री टी० मोहन राव ,,
(8) टी० श्रीहनुमान प्रसाद राव ,,
(10) श्री के० एकांनारायण ,,
(11) श्री के० गांधी ,,
(12) श्री के० वेंकटेस्वरलु ,,
(13) श्रीमती के० कनकम्मा ,,
(14) श्री के० रामपूर्नचन्द्राराव ,,
(15) श्रीमती के० आदलक्ष्मी रामेस्वरम्मा ,,
(अन्तरक)

(2) (1) श्री कोडाली नागेस्वरराव
(2) श्री कोडाली राजकुमार
(3) श्री पालडुगु वेंकटेस्वरराव
(4) श्री एल्लवर्ती गोपालाराव
(5) श्री जोन्नलगड्डा वेंकटा सुब्रमन्यम
(6) श्री कारेमपुडी देवदापानारा राव

श्री लक्ष्मी राजनारायण रैस एण्ड आयल मिल, मंचिराजपेटा तेनाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 28-2-77 मे पंजीकृत दस्तावेज न० 410/77 में निगमित अनुसूची सपत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 19-10-77
मोहर.

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर, 1977

सं० 470—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-2-77

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती चुनडूरु वसुनधरा देवी
   (2) कुमारी चुनडूरु राधिका कल्याणी
   (3) श्रीमति चुनडूरु सीतारामानजनेयम्ब
   } तेनाली
   (अन्तरक)

2. (1) श्री कोडालि नागेस्वरराव
   (2) श्री कोडालि रविकुमार
   (3) श्री पालडुगु वेंकटेस्वरराव
   (4) श्री एलवर्ती गोपालराव
   (5) श्री जोन्नलगड्डा वेंकटसुब्बनयम
   (6) श्री कारेमपूडी देवकृपाकरा राव
   श्री लक्ष्मी सत्यन्नारायण रैस एन्ड आयल मिल, तेनाली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पार्श्विक अंत 28-2-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 411/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 6-10-77
मोहर :

प्ररूप श्राई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

सं० 471—यतः मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 153, 11-1-1 है, जो तेनाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तेनाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-3-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री के० बापाराव इमानी
(2) श्री के० मोहन राव इमानी
(3) श्री के० बास्करराव इमानी
(4) के० नागेन्द्र सिव प्रसाद इमानी
(5) श्री के० सुब्रह्मनयम इमानी
(6) श्रीमती के० सरवलक्ष्मम्मा इमानी
(7) श्री डी० सुब्बाराव इमानी
(8) श्रीमती के० सूर्यकुमारी इमानी
(9) श्री के० वेंकटबसवेस्वरराव इमानी
(10) कुमारी के० वेंकटाबालाद्रिपुरसुन्दरी इमानी
(11) श्री टी० हरी बाबू इमानी
(12) श्री टी० पांडुरंगाराव इमानी
(13) श्री टी० सीतारामाकान्ताराव इमानी

(अन्तरक)

2. (1) श्री कोडाली नागस्वरराव
(2) श्री कोडाली रविकुमार
(3) श्री पालडुगु वेंकटेस्वरराव
(4) फूलवती गोपालाराव
(5) श्री जाशाकगडा वेंकटासुब्रह्मन्यम
(6) कारेमपूडी देवकृपाकारा राव

श्री लक्ष्मी नारायण रैस एन्ड आलय मि०, सोसाइटी तेनाली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तेनाली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-3-1977 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 509/77 में निगमित अनुसूची सपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख 6-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक, 12-10-1977

निर्देश स० ए० सि० 16/अर्जन रेंज-V/कल०/77-78—अतः मुझे, ए० एन० भट्टाचार्य, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसको स० 332 तथा 3333 है तथा जो नेताजी सुभाष रोड, हावड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हावड़ा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बिमल कुमार मल्लिक (अन्तरक)

2. श्री बासुदेव लाला तथा जोनक बिहारी लाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लेखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

332 तथा 333 नेताजी सुभाष रोड, हावड़ा में स्थित 8 कट्टा 6 छटांक 10 स्को० फि० जमीन के समुदय चिजों तथा उसपर बना हुआ स्ट्राकचरस जो के दलील सं० 316 ता० 14-2-1977 मे पूर्ण रूप से वर्णित है ।

ए० एन० भट्टाचार्य,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज कलकत्ता
54 रफीअहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 12-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० ए० सि० 20/अर्जन रेंज IV/कल०/77-78—अतः मुझे, ए० एन० भट्टाचार्य,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो हावड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 दि गाँरेज प्रोपार्टिज प्रा, लि० (अन्तरक)

2 ट्रस्टीज गौरिशंकर गोयेनका एण्डोमेन्ट ट्रस्ट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(i) 217 तथा 218, ग्रान्ड ट्रांक रोड, घुसुडि, हाउड़ा (परिमान 5 बिस्वा 11 कट्ठा) (अन्तरक)

(ii) 105, नस्कर पाड़ा रोड़, हाउड़ा

(iii) 37, भुत बागान लेन, हावड़ा (परिमान 10 कट्ठा) में स्थित जमीन मकान/स्ट्राक्चरस के सब कुछ, जैसे कि दलिल सं० 1-562 में पूर्ण रूप से वर्णित है।

ए० एन० भट्टाचार्य,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कलकत्ता।

तारीख : 14-10-1977।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक 18 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० एक्युजिसन एस० एल० नं० 434/टि० आर०-127/कल०-1/76-77—अतः मुझे, एल० के० बालसुब्रमनियम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 3 (फ्लेट नं० 6ए) है तथा जो लाउडन स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेंट प्लेस नार्थ, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-3-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. साधना प्रापर्टिज प्रा० लि०, 14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता। (अन्तरक)

2. श्री असिफि माउजी, 165 बी०, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

30-3-77 तारीख में रजिस्ट्रार आफ एशयुरेंस, कलकत्ता में डिड नं० I-1306 (आफ'77) अनुसार रजिस्ट्रीकृत नं० 3, लाउडन स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थित, फ्लैट न० 6ए।

एल० के० बालसुब्रमनियण
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I
54, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 18-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 18 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० एक्युजिसन एम० एल० 435 /हि० आर० 128/कलकत्ता-I/76-77—अत: मुझे एल० के० बालसुब्रमनियण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3 (प्लाट न० 6 बि) है तथा जो लाउडन, स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्रेस कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 मैसर्स सत्रा प्रपार्टिज प्रा० लि० 14, नेताजी सुभाष रोड़ (अन्तरक)

2 एम० एम० टि० नारूजोया ए० मौजी 165 बि०, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

30-3-77, तारीख मे रजिस्ट्रार आफ एस्युरेंस कलकत्ता मे डिड न० I-1308 आफ 1977 अनुसार रजिस्ट्रीकृत, उन लाउडन स्ट्रीट मे अवस्थित प्लाट न० 6 बि० और उसका साथ नोकरमा सम, और कारका स्पेस।

एल० के० बालसुब्रमनियण
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I कलकत्ता-16

तारीख : 18-10 77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० पी० आर० 520/एसी क्यू० 23-937/19-7/77-78 अतः मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० वार्ड० नं० 12 नोंध नं० 2759-बी है, जो अगाना बाड के पास, सैयदपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कान्ती लाल छोटालाल अगाना वार्ड के पास, सैयद पुरा सूरत, (अन्तरक)

(2) (1) श्री कालीचरन कनैयालाल 2. श्री शयाम सुंदर काली चरन 3, श्रीओमप्रकाश कालीचरन 4. श्री रामचन्द्र काली चरन 25, निधिराम माजी लेन्ड, हावारा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन व मकान जो वार्ड नं० 12, नोंध नं० 2759, अगानी वार्ड के पास, सैयदपुरा, सूरत मे स्थित है तथा जिसका कुल माप 82 63 वर्ग मीटर है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 188 मे प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 5-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० पी० आर० 521/ए० सी० क्यू० 23-955/7-4/77-78—अतः मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 86 टीका नं० 4-5 है तथा जो दादरा वाड, नवसारी मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-2-1977

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल क लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269—ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरोत्तमभाई हरीभाई पटेल गुरुकृपा, जवेरीवाडी, जवेरी सवक, नवसारी (अन्तरक)

(2) 1. श्री चुनीलाल गाडाभाई सदडीवाला मलिसर, जाम्पा मोहल्ला, नवसारी (अन्तरिती)

2. मगनलाल गांडाभाई सदडीवाला मोटा बाजार, नवसारी

3. ठाकोर लाल गाडाभाई सदडीवाला, मोटा बाजार नवसारी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरु करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सबध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क मे यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन व मकान जिसका मड नं० 505, 505/1 और 510 वार्ड नं० 4 सिटी सर्वे टीका नं० 4/5, स० नं० 86 कुल माप 167 वर्ग गज है तथा जो दादरा वाड, नवसारी, मे स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी, नवसारी के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 115 मे प्रदर्शित है।

एम० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 5-10-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-

अहमदाबाद, दिनांक 5 अक्तूबर 1977

निदेश सं० पी० आर० 522/ए० सी० क्यू० 23-553/7-4/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० जूना रे० स० न० 204/1-2 और 206 पैकी न्यु टीका न० 885 न० 3780 है तथा जो लुन्सीकुई एरिया, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-2-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या अन्य, या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती बानु रुसी चौना 71, ई1-सॉड, 7वा फ्लोर रिज रोड, मलबार हिल, बम्बई-400006 (अन्तरक)

(2) धी ट्रस्टीज "अवान बाग चैरिटी ट्रस्ट फंडस, चारपुल रोड, नवसारी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका जूना रे० सं० नं० 204/1-2 और 206 पैकी न्यु० टीका न० 88 स० नं० 3780 कुल माप 10442 वर्ग मीटर जूना बंगले सहित जिसका पुराना रे० नं० 204/1-2 पैकी न्यु टीका न० 92 सर्वे न० 3804 पैकी 662-21-49 वर्ग मीटर है, उस सम्पत्ति से 1/4 अविभक्त हिस्सा जो लुन्सीकुई नवसारी में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 144 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज- II

तारीख 5-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II

अहमदाबाद, दिनाक 14 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० पी० आर० 523/ए० सी० डब्यू० 23-936/19-7/77-78—अत. मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 60/ए० पी० नं० 129/ए टी० पी० स्कीम न० V है, तथा जो अठवा, गोडधोड रोड, सूरत मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या अन्य, या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब नियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात:—

(1) 1. नहेर हसन अली 2. शांतिलाल छगनलाल शाह 3 किशोर ठाकोरभाई देसाई 4. यगनेश नटवरलाल नानावती, 5. अलकिशोरी भगनलाल किनारीवाला, सूरत (अन्तरक)

(2) 1. एच्च शाह भावजा 2 किशोर चन्द्र टी० देसाई 3. मीनू आर० दुमसिया, 4. दिनकर आर० देसाई, 5. जमशेदजी सी० के० भवाना मारफत, यूनियन बेन्क स्टाफ को० आपरेटिव हाउसीग सोसायटी लि०, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 60 (1) अठवा, एफ० पी० नं० 129/ए० टी० पी० स्कीम न० V कुल माप 1903 वर्ग गज है तथा जो गोड धोड रोड, अठवा, सूरत मे स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 265 में प्रदर्शित है ।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० पी० आर० 524/ए० सी० क्यू० 23-956/7-4/77-78—अत: मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लाट नं० 18 ए० टीका नं० 69 सर्वे नं० 4300 और 4301 है, तथा जो आशाबाग के पास, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या अन्य, या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) 1. मजाजेन गाडुभाई देसाई, 2 शंभुभाई गाडुभाई देसाई, आशाबाग, नवसारी (अन्तरक)

(2) दीनुभाई गुलाबभाई देसाई सर्किजरग, फ्रूस साद, ता० गणदेवी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका प्लाट नं० 18ए० कुल माप 264.70 वर्ग मीटर है, टीका नं० 69 सर्वे नं० 4300 और 4301 है तथा जो आशाबाग के पास नवसारी, जिला बलसाड में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी नवसारी के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकर्त्ता विलेख नं० 116 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

तारीख 14-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० 525, ए० सी० क्यू० 956/7-4/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट, नं० 18 बी०, लैन्ड बीअरिंग नं० टीका 69, सर्वे न० 4300 तथा है, 4301 है जो आशा बाग के पास, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्रीमती कर्णादेन गाडुभाई देसाई,
(2) श्री शम्भूभाई गाडुभाई देसाई, आशाबाग नवसारी
(अन्तरक)

(2) श्री बाबूभाई जीवणभाई पटेल, भोग्रावाडी, वलसाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 267.94 वर्ग मीटर है तथा जिसका प्लाट नं० 18 बी, टीका न० 69, सर्वे नं० 4300 तथा 4301 है तथा जो आशाबाग के पास नवसारी में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण विवरण फरवरी 1977 वाले बिक्री दस्तावेज न० 117 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख 14-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर, 1977

निर्देश सं० 526, ए० सी० क्यू० 23-956/7-4/77-78— अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 15-बी, लैंड बीअरिंग टीका नं० 69, सर्वे नं० 4300 तथा 4301 है, जो आशाबाग के पास, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती मगाबेन गाडूभाई देसाई,

(2) श्री शम्भूभाई गाडूभाई देसाई, आशा बाग नवसारी। (अन्तरक)

(2) श्री एशफ कावसजी, काराद, बनावाड़, मोटा फलीया, नवसारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 273-74 वर्ग मीटर है तथा जिसका प्लाट नं० 15-बी, टीका नं० 69, सर्वे नं० 4300 तथा 4301 है तथा जो आशाबाग के पास नवसारी में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन फरवरी 1977 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 118 में दिया गया है।

एस० सी० परीख,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० 527, ए० सी० क्यू० 23-956/7-4/77-78—अत. मुझे, एम० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी स० प्लाट नं० 15-ए, लैंड बीअरिंग टीका नं० 69, सर्वे नं० 4300 तथा 4301 है, जो आशाबाग के पास, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) 1. श्रीमती मणीबेन गांडूभाई देसाई,

2. श्री शम्भूभाई गाडूभाई देसाई, आशाबाग, नवसारी। (अन्तरक)

(2) श्री केकी नवरोजी वरीयावा, कलालियावाड, मोटा-फलीया, नवसारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 274 50 वर्ग मीटर है तथा जिसका टीका नं० 69, सर्वे नं० 4300 तथा 4301 है तथा जो आशाबाग के पास नवसारी में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन फरवरी 1977 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 119 मे दिया गया है।

एम० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

निर्देश स० 528, ए० सी० क्यू० 23-956/7-4/77-78—अत., मुझे, एम० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० प्लाट न० 16-बी, टीका न० 69, सर्वे न० 4300 तथा 4301 है, जो आशाबाग के पास, नवसारी मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्रीमती मणीबेन गाडूभाई देसाई,

2. श्री गमनूभाई गाडूभाई देसाई, आशाबाग, नवसारी। (अन्तरक)

(2) श्री भरतकुमार भामकरराए देसाई, पोस्ट खर्साद, तालुका नवसारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 264 70 वर्ग मीटर है तथा जिसका टीका न० 69, सर्वे न० 4300 तथा 4301 है, तथा जो आशाबाग के पास नवसारी मे स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन फरवरी 1977 वाले बिक्री दस्तावेज न० 120 मे दिया गया है।

एम० सी० परीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-77

मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० पी० आर० 529/ए० सी० क्यू० 23-956/7-4/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट न० 17 ए टीका न० 69 सर्वे न० 4300 और 4301 है, तथा जो आशाबाग के पास, नवसारी में स्थित है (और जिसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) मनीबेन गाडुभाई देसाई, शंभुभाई गाडुभाई देसाई, आशाबाग, नवसारी (अन्तरक)

(2) भूपेन्द्र त्रिभोवनदास मेहता हनुमानभागड वलसाड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन प्लाट न० 17 ए कुल माप 264.70 वर्ग मीटर टीका न० 69 सर्वे न० 4300 और 4301 है तथा जो आशाबाग के पास नवसारी, जिला वलसाड में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवसारी के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 121 में प्रदर्शित है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एल० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

अहमदाबाद, दिनाक 14 अक्तूबर 1977

निदश स० पी० आर० 530/ए० सी० क्यू० 23-956\7-4/77-78—यत. मुझे एम० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 17 बी टीका न० 69 स० नं० 4300 और 4301 है, तथा जो आशाबाग के पास, नवसारी मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) 1. मनीषेन गाडुभाई देसाई,

2. शभभाई गांडुभाई देसाई, आशाबाग, नवसारी (अन्तरक)

(2) अजीत कुमार मगनलाल शाह सरीशजरंग, अमलसाड, ता० अणवेवी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका प्लाट न० 17 बी कुल माप 264.70 वर्ग मीटर जो टीका न० 69 सर्वे न० 4300 और 4301 है तथा जो आशाबाग के पास नवसारी, जिला बलसाड मे स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी नवसारी के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 122 मे प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० पी० आर० 531/ए० सी० क्यू० 23-I-5 7-4/77-78—अत: मुझे एम० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 16ए० टीका नं० 69 स० नं० 4300 और 4301 है तथा जो आशाबाग के पास, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. श्रीमती मनीबेन गाडुभाई देसाई,

2. शंभूभाई गाडुभाई देसाई, आशाबाग, नवसारी, (अन्तरक)

(2) श्री मनहरलाल इश्वरलाल देसाई पो० हमापोर, ता० नवसारी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन प्लाट नं० 16ए कुल माप 264 70 वर्ग मीटर जो टीका नं० 69 सर्वे नं० 4300 और 4301 है तथा जो आशाबाग के पास, नवसारी जिला बलसाड में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी नवसारी के फरवरी 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 123 में प्रदर्शित है।

एम० सी० परीख
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
अहमदाबाद

तारीख : 15-10-1977

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज शिलांग

शिलांग, दिनांक 15 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० ए० 138/गौ०/77-78/768-800—अत मुझे एगबर्ट मिग

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी म० दाग स० 581 और 584 के० पी० पि० स० 76 है तथा जो गाउजपरिगोग मौजा बेलटोला गौहाटि, आसाम मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटि मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-3-1977

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अचाउसिंग मथारू भरालुमुख गौहाटी (अन्तरक)

2 श्री हरगोबिन्द अगरवाल, गौहाटी (अन्तरिती).

3. श्री महेश कुमार अगरवाल, ए० टि० रोड, गौहाटी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सपत्ति के अर्जन के सबध मे कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

जमीन के माप 3 काता जो कि दाग स० 581 और 584, के० पि० पि० सं० 76 के गाउ जपरिगोग, मौजा बेलटोला, गौहाटी आसाम मे हैं।

एगबर्ट मिग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलाग

तारीख : 15-10-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज शिलांग

शिलांग, दिनांक 15 अक्तूबर 1977

निर्देश स० ए० 139/गौ०/77-78/803-05—अतः मुझे एगबर्ट सिंग

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० दाडा स० 581 584 के, पि० पि० स० 79 है तथा जो गाउजपरिगोंडा मौजा बेलटोला गौहाटि, आसाम में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटि में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-3-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री हरदेव सिंग, भरालुमुख, गौहाटि (अन्तरक)

2 श्री हरगोविन्द अगरवाल, मदेश कुमार अगरवाल, ए० टि० रोड गौहाटि। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनसूची

जमीन के माप 2 काता जोकि दाडा सं० 581 और 584 और के० पि० पि० स० 79 के गाउ जपरिगोंडा, मौजा बेलटोला गौहाटि, आसाम में है।

एगबर्ट सिंग
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 15-10-1977

मोहर

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनाक 6 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० 10एच०/मी०/124/77-78—अत: मुझे नत्थू राम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० दुकान नं० 13-4-5-21/1955 है तथा जो चौडा बाजार लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :—

1 (1) श्री राय साहिब श्री किशन,
(2) मनमोहन नाथ
(3) पशन नाथ
(4) रामेशवर नाथ
(5) राविन्दर नाथ सिविल लाईन लुधियाना (अन्तरक)

2 श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रामेश्वर दास जैन निवासी बी-6-739 गुलचमन गली, लुधियाना (अन्तरिती)

3 श्री बशेर चन्द मारफत विजय कलाथ हाऊस दुकान नं० बी०-4-5-21/1955, चौडा बाजार लुधियाना (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान न० बी-4-5-21/1955 जो कि चौड़ा बाजार लुधियाना मे स्थित है (जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता के विलेख न० 2185 फरवरी, 1977 मे रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है ।)

नत्थू राम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 6-10-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनाक 14 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० एस० डी० एन० आर०/15/76-77—यत: मुझे नत्थूराम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 174 कनाल 19 मरले है तथा जो गाव कुतबेवाल गुजरा तहसील लुधियाना मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

1. श्री बरयाम सिह पुत्र श्री भगत सिह निवासी दीना नगर हाल WA-296 जालन्धर शहर द्वारा श्री बलवत राय वर्मा पुत्र श्री राय साहिब मुनशी राम, निवासी समराला मुख्यारे आम (अन्तरक)

2. श्री सतपाल करवाल पुत्र श्री संत राम निवासी कोठी नं० 148 सैक्टर-11 ए चण्डीगढ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 174 कनाल 19 मरले जो कि गाव कुतबेवाल गुजरां तहसील लुधियाना मे स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता के विलेख नं० 5085 फरवरी, 1977 मे रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय मे लिखा है।

नत्थू राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, लुधियाना

तारीख : 14 अक्तूबर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 अक्तूबर 1977

निर्देश सं० आर० ए० सी० 121/77-78—यतः मुझे, के० एस० वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सरवे नं० 56, 57 है, जो काकालापली मे स्थित है (और जिससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अनन्तापूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-2-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) अरवेटी रामास्वामी (2) एन वेंकटानारायना (3) ये-गन्नय्या (4) ए० श्रीनिवासुलू (5) एन० लक्ष्मीनारायना, अनन्थापुर। (अन्तरक)

(2) सेक्रेटरी अनन्तापुर को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग-सोसाइटी अनन्तापुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

एकर्स 3·94 जमीन सर्वे नं० 56 और 57 ककलपली रोड अनन्तापुर में स्थित है दस्तावेज नं० 730/77 अपरजिस्ट्री कार्यालय अनन्तापुर मे।

के० एम० वेकट रामन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, हैदराबाद

तारीख 17-10-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबद, दिनांक 17 अक्तूबर 1977

निर्देश स० आर० ए० सी० 122/77-78—अत: मुझे के० एस० वेंकट रामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे न 56 और 57 है, जो कलपली अनन्तापुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अननतापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-77 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) श्री के० बस्प्प (2) के० तीम्मप्पा (3) के० सरस्वातम्मा अनन्तापुर (अन्तरक)

(2) सेकेट्री अन्ताप्न कोअपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी अनन्तापुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऐकर्स 3.94 जमीन सर्वे नं० 56 और 57 ककलपली रोड अननतापुर, दस्तावेज न 773/77 उप रजिस्ट्रार कार्यालय अनन्तापुर में।

के० एस० वेंकट रामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 17-10-77
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 24th August 1977

No A 32014/1/77-Admn.I —The President is pleased to appoint Shri P P Sikka a permanent Personal Assistant (Grade C of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission, to officiate as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) in the same cadre on a purely temporary and ad hoc basis for a period of 46 days with effect from 24-8-1977 to 8-10-1977 or until further orders, whichever is earlier.

The 30th August 1977

No. P/657-Admn I —Consequent upon his selection for appointment as First Personal Assistant to the Minister of State in the Ministry of Information & Broad-casting, the Services of Shri P. P Sikka, a permanent Grade C officer of the CSSS cadre of Union Public Service Commission, and officiating in Grade B of the service on *ad hoc* basis, are placed on deputation at the disposal of the Ministry of Information & Broadcasting with effect from the after-noon of 30th August, 1977,

The 29th September 1977

No A.32011/1/77-Admn.I.—The President has been pleased to allow Shri K Sundaram, permanent Personal Assistant (Grade C of CSSS) cadre of Union Public Service Commission, who was appointed to officiate as Senior Personal Assistant upto 30-9-1977 on purely temporary and *ad hoc* basis *vide* orders of even number dated the 20th July, 1977, to continue to officiate in the same capacity on a purely temporary and *ad hoc* basis for a further period with effect from 1-10-1977 to 30-11-1977 or until further orders, whichever is earlier

P. N. MUHERJEE, Under Secy.
Union Public Service Commission

Amendment to the Notice for National Defence Academy Examination, December, 1977.

New Delhi-110011, the 5th November 1977

No. F 7/2/77-E I(B) —In the Union Public Service Commission Notice No F 7/2/77-E I (B) dated 20th August, 1977 relating to the National Defence Academy Examination, December, 1977, the following amendments shall be made .—

(i) For the words "Shillong and Trivandrum" occuring in line 4 of para 2 of the Notice, the words 'Shillong, Trivandrum and Varanasi' shall be substituted.

(ii) The words "(a) to be disqualified by the Commission from the specified period" occurring in lines 1 and 2 of para 13(b) of the Notice shall be substituted by the words '(b) to be debarred either permanently or for a specified period"

(iii) For the figure "700" occurring in sub-column 2 of the cage against item "QUALIFICATION PAY" in para 11(ii) of Appendix III to the Notice the figure '70' shall be substituted.

B. S. JOLLY, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPTT OF PERSONNEL & A R

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 12th October 1977

No A-19036/3/77-Ad V.—Shri S Venkatachalam, Dy SP, C B.I Patna relinquished charge of his Office as Dy. S P, C.B I Patna Branch with effect from 1-9-77 (Forenoon) and proceeded on 61 days L.P.R

He will finally retire from service w e f 31-10-77 (Afternoon)

BHUDEB PAL, Administrative Officer (E).
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 13th October 1977

No O II-1068/77-Estt —Consequent on the acceptance of his resignation, Dr K Jagannath Rao relinquished charge of the post of J M O, 27th Bn, CRPF on the forenoon of 5-9-1977.

The 15th October 1977

No O II-14/72-Estt —Consequent on his repatriation to parent State i e Uttar Pradesh, Shri D S. Bhatnagar IPS relinquished charge of the post of Deputy Director (Provisioning) Dte General, CRP Force, New Delhi on the forenoon of 1st October, 1977.

No O II-1074/77 Estt —The President is pleased to appoint Dr Linga Raj Jena as G D O, Grade II (Dy S P./Coy Comdr) in the CRPF in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28th Sept 1977 until further orders.

The 18th October 1977

No O.II-1042/76-Estt —The Director General, CRPF is pleased to appoint Dr. Nibaran Mohanty as Junior Medical Officer in the CRPF on an ad-hoc basis with effect from 6-10-1977 (FN) for a period of 3 months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

A K BANDYOPADHYAY, Asstt Dir. (Adm)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-24, the 12th October 1977

No. E-16016/20/76-Pers —On transfer on deputation Dr. (Mrs.) V. Joya, Health Officer, State Health Education Bureau, Hyderabad, assumed the charge of the post of Asstt. Surgeon Gde. I at CISF Training College, Hyderabad with effect from the afternoon of 19th September 1977.

No E-38013(3)/17/76-Pers —The President is pleased to appoint Shri Jagdish Mohan Sethi to officiate as Asstt Commandant CISF Unit BIOP (Deposit 14), Kirandul on *ad hoc* basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 5th February 1977.

No. E-38013(3)/9/77-Pers —On transfer to Durgapur Shri R M Dash, relinquished the charge of the post of Asstt Commandant CISF Unit IOC Haldia with effect from the afternoon of 14th September 1977.

No E-38013(3)/9/77-Pers —On transfer from Durgapur, Shri R K Dixit relinquished the charge of the post of Asstt Commandant, CISF Unit DSP Durgapur with effect from the afternoon of 6th September 1977 and assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit IOC Haldia with effect from the afternoon of 14th September 1977

No E-38013(3)/13/77-Pers —On transfer to Jharia, Shri S K Banerjee relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit DSP Durgapur with effect from the forenoon of 14th September 1977

L S BISHT, Inspector General/CISF.

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 14th October 1977

No 5/3/76-RG(Ad I) —In continuation of this office notification No 5/3/76-RG(Ad I) dated 19-1-1977, the President is pleased to extend the appointment of Dr B K. Roy, Map Officer in the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India, at New Delhi, in the post of Assistant Registrar General (Map) in the same office, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of six months with effect from 20-7-1977 *or* until further orders, whichever period is shorter.

No. 5/3/76-RG(Ad.I) —In continuation of this office notification No. 5/3/76-RG(Ad I) dated 20 1 1977, the President is pleased to extend the appointment of S/Shri S. D. Tyagi and Mahesh Ram, Senior Geographers in the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India, at New Delhi, in the posts of Research Officer (Map) in the same office, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of six months with effect from 20 7 1977 or until further orders, whichever period is shorter.

No 5/3/76-RG(Ad I) —In continuation of this office notification No 5/3/76-RG(Ad I) dated 19 1 1977, the President is pleased to extend the appointment of Dr R R Tripathi, Research Officer (Map) in the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India, at New Delhi, in the post of Map Officer in the same office, on a purely temporary and *ad hoc* basis, for a period of six months with effect from 20-7-1977 *or* until further orders, whichever period is shorter.

R B CHARI,
Registrar General India and *ex-officio Joint Secy.*

MINISTRY OF FINANCE
(DEPTT OF ECONOMIC AFFAIRS)
BANK NOTE PRESS

Dewas, the 13th October 1977

F.No BNP/C/23/77 —In continuation to the Notification of even number dated 22 7 77 the *ad-hoc* appointment of Shri S K Mathur as Deputy-Control Officer in the Bank Note Press, Dewas is extended for a further period of 3 months with effect from the forenoon of 19-10-77 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

P S SHIVARAM,
General Manager

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110022, the 6th October, 1977

No. 40011(1)/76/AN-A.—The Controller General of Defence Accounts hereby appoints the undermentioned Permanent Section Officers (Accounts) as Accounts Officers in a Officiating capacity with effect from the date noted against each until further orders.

Sl. No.	Name	Organisation	Date
	Sarvashri		
1.	P. L. Mehrotra	Controller of Defence Accounts (ORS) North Meerut	13-9-77 (FN)
2.	R. N. Behal	Joint Controller of Defence Accounts (Funds), Meerut	27-4-77 (FN)
3.	Satyadeva Sharma	Jt Controller of Defence Accounts (Funds) Meerut	5-8-77 (FN)
4.	Sadanand	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad	4-7-77 (FN)
5.	S. K. Mukherjee	Controller of Defence Accounts (ORs-North) Meerut	12-7-77 (FN)
6.	M. M. Popli	Jt. Controller of Defence Accounts (Funds), Meerut	30-8-77 (FN)
7.	K. K Adkar	Controller of Defence Accounts (ORs) South, Madras	1-9-77 (FN)
8.	V. N. Tilak	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehradun	30-8-77 (FN)
9.	Kali Prasanna Sen	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta	16-8-77 (FN)
10.	Jaswant Singh	Controller of Defence Accounts (ORs) North Meerut	31-8-77 (FN)
11.	Gur Bachan Singh	Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehradun	8-8-77 (FN)
12.	Dalip Singh Bewali	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad	1-9-77 (FN)
13.	M G. Ranade	Controller of Defence Accounts Southern Command, Poona	11-8-77 (FN)
14.	R. Anantharaman	Controller of Defence Accounts (Navy) Bombay	1-9-77 (FN)
15.	J. N V Narasimharao	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehradun	16-8-77 (FN)
16.	Inder Kumar Kapila	Controller of Defence Accounts (Navy) Bombay	17-8-77 (FN)
17.	K. C. Dole	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta	21-8-77 (FN)
18.	V. V. Arole	Controller of Defence Accounts (ORs) South, Madras	1-8-77 (FN)

Sl. No.	Name	Organisation	Date
	Sarvashri		
19.	S. N. Biswas	Controller of Defence Accounts Central Command, Meerut	4-8-77 (FN)
20.	Mohd. Mumtaz Ahmad	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.	8-8-77 (FN)
21.	S. B. S. Chauhan	Controller of Defence Accounts, Patna	15-9-77 (FN)
22.	R. Deivasigamani	Controller of Defence Accounts Patna	25-8-77 (FN)
23.	S. Sesh Giri Rao	Controller of Defence Accounts (Navy) Bombay	4-8-77 (FN)
24.	M. S. Venkataraman	Controller of Defence Accounts (ORs) South Madras	8-8-77 (FN)
25.	Madan Lal Kapur	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad	12-9-77 (FN)
26.	K. S. Rangaswamy.	Controller of Defence Accounts (ORs) South, Madras	7-9-77 (FN)
27.	K. Venkatasubramaniam	Controller of Defence Accounts Southern Command, Poona	1-9-77 (FN)
28.	N. Srinivasan-II	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.	13-9-77 (FN)
29.	T. V. Vasudeven	Controller of Defence Accounts Southern Command, Poona	1-9-77 (FN)
30.	N. R. Navaneethan	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta	1-9-77 (FN)
31.	D. R. Sharma	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehradun	16-8-77 (FN)

R. VENKATARATNAM, Dy. Controller General of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-16, the 11th October 1977

No 59/77/G.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of ADGOF Gr. II/GM Gr. II/Dy. GM with effect from the dates shown against each :

1.	Shri B. Roy, Offg ADGOF Gr. II	1st. Jan. 1975
2.	Shri Ravi Kumar, Offg ADGOF Gr. II	1st. Jan. 1975
3.	Shri I. B. Ghosh, Offg ADGOF Gr. II	1st Jan. 1975
4.	Shri Y. S. Trivedi, Offg. GM Gr. II	1st. Jan 1975
5.	Shri S. Thiagarajan, Offg Dy. GM	1st. Jan 1975
6.	Shri B. N Ray, Offg. ADGOF Gr. II (Retd)	1st. Jan. 1975
7.	Shri P. K. Ghosh, Offg. ADGOF Gr. I (Expired)	1st Jan. 1975
8.	Shri J. K. Banerjee, Offg GM Gr. II	1st. April, 1975
9.	Shri B. K. Ghai, Offg. ADGOF Gr. II	1st. Sept. 1975
10.	Shri R. K Majumdar, Offg Dy. GM	18th Sept 1975
11.	Shri M. L Dhir, Offg Dy GM	14th Oct. 1975
12.	Shri O. P. Mehrotra, Offg. GM Gr. II	Ist. Jan. 1976
13.	Shri A. K. Dam, Offg. Dy. GM	Ist. Jan. 1976

No. 60/77/G.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of Sr. DADGOF/Manager with effect from the dates shown against each :—

1	2	3
1.	Shri G. Gopakumar, Offg. Sr. DADGOF	1st June, 1975
2.	Shri V. M. Nagarajan, Offg Manager	1st. June, 1975
3.	Shri A. M. Chakraborty, Offg Manager	1st. June, 1975
4.	Shri V. E. P. Nair, Offg. Manager	1st. June, 1975

1	2	3
5	Shri D. K Dutta, Offg Manager	1st June, 1975
6.	Shri R Jayaraman, Offg, Manager	1st June, 1975
7.	Shri K. C. Paul, Offg. Manager	1st. June, 1975
8.	Shri C.S R jan, Offg Manager	1st June, 1975
9.	Shri S. K Ramanathan, Offg Manager	1st June, 1975
10.	Shri P. K. Basak, Offg Manager	19th July, 1975
11.	Shri M Khaleclullah, Offg Manager	1st. Aug 1975
12.	Shri H. Achutan, Offg. Manager	1st Sept. 1975
13.	Shri A V Dhekne, Offg Manager	1st Sept 1975
14.	Shri T K. Gopal krishnan, Offg Manager	18th Sept 1975
15.	Shri P. R Rao, Offg Manager	14th Oct 1975
16.	Shri V C Kasturirangan, Offg Manager	1st Jan 1976
17.	Shri D B Betigeri, Offg Manager	1st Jan 1976
18	Shri M V. Rangabashyam, Offg Manager	1st Jan. 1976
19.	Shri A Chandra Mohan, Offg Manager	1st Feb 1976
20	Shri K. N. Bahuguna, Offg Manager	1st March, 1976

No 65/77/G —On expiry of leave preparatory to retirement, Shri G C Banerjee, Offg T S O (Subst & Permt S A) retired from service with effect from 31st July 1977 (A N.)

No 66/77/G —On expiry of leave preparatory to retirement, Shri S R Banerjee, Offg T S.O (Subst & Permt Foreman) retired from service with effect from 31st July, 1977 (A/N).

The 13th October 1977

No. 61/77/G —The President is pleased to confirm the following officers in the grade of DADGOF/Dy. Manager with effect from the dates shown against each :

1	2	3
1	Shri S. Vaidyanathan, Offg DM	15th Oct. 1973
2.	Shri B. N Barat, Offg DM (expired)	15th Oct. 1973
3.	Shri D N Sarkar, Offg Sr DADGOF	29th October, 1973
4.	Shri K H Raman, Offg Manager	5th Nov 1973
5.	Shri D P Dam, Offg DM	5th Dec 1973
6.	Shri P S Rastogi, Offg DM	21st. Dec 1973
7.	Shri R S. Yadav, Offg DM	27th Dec 1973
8.	Shri S. B. Shanmugaraj, Offg DM	1st. January, 1974
9.	Shri B. V Rastogi, Offg DM	6th January, 1974
10.	Shri A. K. Mathur, Offg DM	10th January, 1974
11.	Shri J. R. Kalia, Offg. DM	1st. March, 1974
12.	Shri G N Goyal. Offg DADGOF	1st April, 1974
13	Shri V. S. Gupta, Offg. DM	1st. July, 1974
14.	Shri B M Jawaharlal, Offg DM	23rd. July, 1974
15.	Shri T R. Mohan Rao, Offg. DM	1st. August, 1974
16.	Shri C. R. Jain, Offg. DM	1st. Sept. 1974
17.	Shri V Kumaraswamy, Offg. DM	1st. Oct 1974
18	Shri P S Sodhi, Offg DM	1st. October, 1974
19.	Shri K V C Nair, Offg DM	1st. November, 1974
20	Shri K. C. Shrikhande, Offg DM	1st. November, 1974
21	Shri S B. Dutt , Offg DADG	1st. Dec. 1974
22.	Shri G I Wellington, Offg DM	1st January, 1975
23	Shri A. B. Lal, Offg DM	1st January, 1975
24.	Shri R S Sahni, Offg DM (Retd.)	1st. January, 1975
25.	Shri N. S. Theeng, Offg DM	1st March, 1975
26.	Shri Ramji Rai, Offg DM	1st. March, 1975
27.	Shri S. K Suri, Offg. DADGOF	1st. March, 1975
28.	Shri G. Subramaniam, Offg DADGOF	1st. April, 1975
29.	Shri G. Krishnamurthy, Off. DM.	1st May, 1975
30.	Shri V K Singh, Offg DM	30th May, 1975
31.	Shri K C. Mukherjee, Offg DADGOF	1st. June, 1975

1	2	3
32	Shri S.R.Guha Roy, Offg DA[r] GOF	1st, June 1975
33.	Shri R. N Sen Gupta, Offg. DADGOF	1st. June, 1975
34.	Shri R K Sarnaik, Offg. DM	1st. June, 1975
35.	Shri B B Verma, Offg DM	1st June, 1975
36	Shri J S. Kuldhar, Offg. DM	
37.	Shri S. Tiwari, Offg DM	1st. June 1975
38.	Shri B Dutta, Offg DM	1st. June 1975
39.	Shri A K Chatterjee, Offg. DM.	1st June 1975
40.	Shri D Sen, Offg. DM	1st. June, 1975
41·	Shri A P Bagchi, Offg. DM (Retd.)	1st July, 1975
42.	Shri A Sanyal, Offg DM	19th July, 1975
43.	Shri K S. Ghai, Offg. DM	1st. August, 1975
44.	Shri T S. Ramalingam, Offg. DM	1st, August, 1975

M P. R. PILLAI,
Asstt Director General,
Ordnance Factories

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER, SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 24th September 1977

No. 19018(296) '77-Admn (G).—The Controller General of Accounts is pleased to appoint Shri K. L Mahajan, Junior Accounts Officer, C B D T, Jaipur as Accounts Officer in the Ministry of Industry on a purely *ad hoc* basis.

2 Consequent upon his appointment as Accounts Officer, Shri K L Mahajan assumed charge of the post of Accounts Officer in the Pay & Accounts Office, Small Industry Development Organisation, Nirman Bhawan, New Delhi with effect from the forenoon of 11 7.77

The 17th October 1977

No 12(101)61-Admn (G) —The President is pleased to appoint Shri Swarajya Prakash, Director (Gr II) (EI) in the Small Industry Development Organisation as Director (Gr. I) (GAD) in the Small Industry Development Organisation on *ad hoc* basis for the period from 12 8 77 (FN) to 28 9 1977 or till a regular Officer is available whichever is earlier.

2. Consequent upon his appointment as Director (Gr. I) (GAD) Shri Swarajya Prakash relinquished charge of the post of Director (Gr II) (EI) in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi with effect from the forenoon of 12th August, 1977 and assumed charge of the post of Director (Gr. I) (GAD) in the same office with effect from the forenoon of 12th August, 1977.

No. A-19018/52/73-Admn (G) —Consequent upon his transfer for appointment as Senior Research Officer in the Ministry of Commerce, Shri Naideo Singh, a Gr III Officer of the I E S relinquished charge of the post of Deputy Director (Economic Investigation) in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi on the afternoon of 22nd August, 1977.

No A-19018/276/77-Admn (G) —The Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi is pleased to appoint Shri C P Srivastava, Small Industry Promotion Officer, in the Small Industries Service Institute, Kanpur to officiate on an *ad hoc* basis as Assistant Director (Gr II) (EI) in the Small Industry Development Organisation w.e.f. 25 7 77 (FN), and upto 31 12 77 or till such time a regular officer is appointed whichever is earlier

2 On his appointment, Shri C P Srivastava has assumed charge as Assistant Director (Gr II) (EI) in the Small Industries Service Institute, Patna w.e.f the forenoon of 25th July, 1977.

No. 19018/(296)/77-Admn (G) —The Controller General of Accounts is pleased to appoint Shri K L Mahajan, Junior Accounts Officer, C B D T, Jaipur as Accounts Officer in the Ministry of Industry on a purely *ad hoc* basis.

2 Consequent upon his appointment as Accounts Officer, Shri K L Mahajan assumed charge of the post of Accounts Officer in the Pay & Accounts Office, Small Industry Development Organisation, Nirman Bhawan, New Delhi with effect from the forenoon of 11 7 77.

No A-19018(298)/77-Admn (G) —The President is pleased to appoint Shri N.D G Nair, a grade IV Officer, of the I E S, as Deputy Director (Economic Investigation) in the Small Industry Development Organisation w.e f the forenoon of 10 6 77, until further orders.

2 Consequent upon his appointment Shri N. D G. Nair has assumed charge of the post of Deputy Director (EI) in Small Industries Service Institute, Madras w e f the forenoon of 10 6.77.

V VENKATRAYULU,
Deputy Director (Admn)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

ADMN SEC A-6

New Delhi, the 10th October 1977

No. A6/57(8).—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints Shri D Ramanujam Asstt Inspecting Officer (Met) substantively against the permanent post of Asstt Inspecting Officer (Met) with effect from 22-9-66

SURYA PRAKASH,
Dy Director (Administration)
For Director General of Supplies and Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 14th October 1977

No. 4844/B/36/76/19C—Shri M Ramachandran, Administrative Officer, Geological Survey of India is released to report for duty as Junior Analyst (Works Study) to the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Administration on deputation basis with effect from 30-6-1977 (afternoon).

V. K. S VARADAN,
Director General

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 10th October 1977

No 2/15/61-SII—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri R K Sharma, Administrative Officer Television Centre (ASR), New Delhi to officiate as Senior Administrative Officer, All India Radio, New Delhi with effect from 8.8 1977 (F N.).

The 12th October 1977

No 19/6/76-SII—Director General, All India Radio is pleased to appoint the following Senior Grade Stenographers working in News Services Division, All India Radio, New Delhi to officiate as Reporter (Monitoring), News Services Division, All India Radio, New Delhi on a purely *ad hoc* basis with effect from the dates mentioned against each until further orders

1	Shri R D Verma	9 9.77 (F N)
2	Shri P N Saxena	9 9 77 (F N)
3	Shri M. M Chopra	13 9 77 (F N)
4.	Shri S S Bhatnagar	13 9 77 (F N)
5	Shri Kailash Chand Marwah	19 9 77 (F N)

S. V SESHADRI,
Deputy Director of Admn.
for Director General

New Delhi-1, the 12th October 1977

No. 4(15)76-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints the following officers in a substantive capacity in the cadre of Programme Executives, All India Radio with effect from 6th October, 1970 :—

Sl. No.	Name	Designation of the post held at present
1	Shri Hem Narayan Patre	Programmes Executive, A I.R., Passighat
2.	Shri A B. Karchowdhury	Assistant Station Director, All India Radio, Calcutta.
3.	Shri N C. Pandya	Since retired.
4.	Smt. Susheela Vijayaraghavan	Programme Executive, All India Radio, Calicut.
5.	Shri G. Meshram	Station Director, All India Radio, Aurangabad.
6.	Shri A.S. Grewal	Assistant Station Director, T.V. Centre, Amritsar (with Head Quarters at New Delhi).
7.	Shri J. B. Desai	Asstistant Station Director, T. V. Centre, Bombay
8.	Shri K. V. Rama Chandran	Assistant Director of Programmes, Directorate General, All India Radio, New Delhi
9.	Shri C. D. Varma	Programme Executive, All India Radio, Lucknow.
10.	Shri R. K. Agarwal	Programme Executive, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Ahmedabad

Their confirmation is subject to the condition that they will be liable to transfer at any time to serve under a public corporation and that on such transfer, they will be liable to the conditions of service to be laid down for the employees of that Corporation.

The 13th October 1977

No 4(8)/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Umrao Singh as Programme Executive, All India Radio Gorakhpur in a temporary capacity with effect from 23rd September, 1977 and until further orders

No 4(20)/77-SI,—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Mohammed Shafiq as Programme Executive, Radio Kashmir, Srinagar in a temporary capacity with effect from 21st Sept 1977 and until further orders

No 4(70)/77-SI—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri P. N Madhuskar as Programme Executive, All India Radio, Pune, in a temporary capacity with effect from 26th September, 1977 and until further orders

The 15th October 1977

No 4/29/75-SI-Vol.II—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Uma Shankar Panda as Programme Executive, All India Radio, Ambikapur in a temporary capacity with effect from 5th September, 1977 and until further orders

N. K BHARDWAJ
Deputy Director of Administration,
for Director General

12—316GI/77

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 12th October 1977

No 12-11/72-Admn I—On attaining the age of superannuation, Shri Karta Ram, Deputy Director (Administration) in the Directorate General of Health Services, New Delhi, retired from Government service on the afternoon of 31st July, 1977.

No. A 12026/13/77-(SJ)Admn I—The Director General of Health Services is pleased to appoint Smt Indu Sehgal, Dietician, Safdarjang Hospital, New Delhi, in the post of Senior Dietician in the same Hospital, with effect from the forenoon of 1st April, 1977, on an *ad-hoc* basis, and until further orders

The 15th October 1977

No. A 35014/1/77(SJ)Admn I—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri P N Sorewala, a Section Officer of the C.S S in the Indian Posts & Telegraph Department, New Delhi, to the post of Administrative Officer, Safdarjang Hospital, New Delhi, with effect from the afternoon of the 19th September, 1977, on deputation basis, and until further orders.

Consequent on the appointment of Shri P N. Sorewala as Administrative Officer, Shri V. D. Uppal relinquished charge of the post of Administrative Officer, Safdarjang Hospital, New Delhi, on the afternoon of the 19th September, 1977

No A 40012/1/77(HMD)Admn.I —Consequent on her retirement, Miss M. Hodgson, relinquished charge of the post of Nursing Superintendent in the Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, with effect from the afternoon of the 31st August, 1977.

S. L KUTHIALA,
Dy Director Administration (O&M)

New Delhi, the 13th October 1977

No. 11-16/71-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri S. P. Jindal, Deputy Director (Administration) in the Directorate General of Health Services, New Delhi, retired from Government service on the afternoon of 30th September, 1977.

A. SURIN
Dy. Director Administration

New Delhi, the 12th October 1977

No A 11013/17/76-CGHS I —The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Bhatnagar, as Physiotherapist Grade I, in the C G H S. Delhi on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of the 1st August, 1977

The 14th October 1977

No. A.19019/48/77-CGHS I —The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Mrs) Uma Gupta to the post of Homoeopathic Physician under C.G H S. Meerut on a temporary basis with effect from the afternoon of the 10th August, 1977.

N. S. BHATIA
Deputy Director Admn. (CGHS)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-85, the 2nd December 1976

No. PA/81(133)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Subhash Chandra Saxena, a permanent Scientific Assistant (A) and officiating Draughtsman (C) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders.

The 5th March 1977

No PA/81(127)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Shardchandra Digamber Dharurkar, a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade SB in the same Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders

The 9th March 1977

No PA/81(127)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Harishchandra Narayan Karandikar, a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade SB in the same Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further order

The 22nd March 1977

No. PA/81(61)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Maniparambil Allesu Francis a temporary Supervisor (Civil) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders.

The 1st April 1977

No. PA/116(4)/77-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri N. Swaminathan Iyer, a permanent Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer Grade SB in the same Research Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 19, 1977 and until further orders.

The 2nd April 1977

No PA/81(134)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Tulsiram Laxman Shilamkar, a permanent Draughtsman (B) and officiating Draughtsman (C) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders

No. PA/81(134)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Kodial Kishor Shankar Rao, a temporary Foreman in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders

The 4th April 1977

No PA/81(132)/76-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Benjamin Anthony Valladares, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders.

The 5th April 1977

No PA/61(4)/76-R-IV —The Controller, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints Shri Ram Parkash Malhotra as Station Officer in the same Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of March 31, 1977, until further orders

No PA/81(121)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Kunnankat Unnikrishan, a temporary Scientific Assistant (B) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders

No PA/81(125)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints the under-mentioned permanent Scientific Assistant (A) and officiating Scientific Assistants (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officers/Engineers-Grade SB in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders

Sl No	*and Name*
1	Shri Ramaswamy Venkataramani
2.	Shri Vishnumangalam Narayanan Venkitaraman

No. PA/81(131)/76-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Ramakant Babli Vernekar, a permanent Scientific Assistant (A) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer-Grade SB in the same Research Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders.

The 6th April 1977

No PA/81(125)/76-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Purushottambhai Vallabhbhai Patel, a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer—Grade SB in the same Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976, until further orders.

The 18th April 1977

No PA/73(11)/76-R-IV —The Director, Bhabha Atomic Research Centre appoints Dr Shankar Keshaorao Bakde to officiate as Resident Medical Officer in a temporary capacity with effect from the forenoon of April 6, 1977, until further orders.

The 21st April 1977

No PA/79(25)/75-R-IV.—On transfer from the Power Projects Engineering Division, Shri Ram Jairamdas Bhatia, a permanent Selection Grade Clerk and officiating General Administrative Officer in that Division is appointed as an Officer in the Junior Administrative Officer's Grade's (Rs 840-1200) in the Bhabha Atomic Research Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of March 25, 1977, until further orders.

The 29th April 1977

No PA/73(9)/76-R-IV.—In continuation of this Research Centre's Notification of even number dated December 27, 1976, Controller, BARC, hereby appoints Smt. Tara Ramachandra Valsangkar, a permanent Assistant Matron in the Bhabha Atomic Research Centre, to officiate as Matron in the same Centre on a regular basis with effect from the forenoon of April 4, 1977, until further orders.

The 31st May 1977

No PA/73(11)/76-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre appoints Dr. Balwant Raghunath Wagholikar to officiate as Resident Medical Officer in a temporary capacity with effect from the forenoon of May 6, 1977, until further orders.

No PA/81(24)/77-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Harbhajan Singh Parhar, a permanent Scientific Assistant (B) and officiating Scientific Assistant (C) in the Bhabha atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer Grade SB in the same Centre, in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1977, until further orders

The 1st June 1977

No. PA/81(26)/77-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Kottachaparampil Philipose Alphonse, a temporary Scientific Assistant (C) in the Bhabha Atomic Research Centre, as Scientific Officer/Engineer—Grade SB in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of February 1, 1977, until further orders.

P. UNNIKRISHNAN
Dy. Establishment Officer (R)

Bombay-85, the 5th July 1977

No Ref 5/1/77/Estt II/2799.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri S. A Jha, Asstt. Accounts Officer to officiate as Accounts Officer-II on *ad hoc* basis in VEC Project, Calcutta with effect from 31-5-1977 until further orders.

No Ref. 5/1/77/Estt.II/2800.—In continuation of this Division notification of even No. /891 dated 9-3-1977, Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri U. R. Menon, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer in this Research Centre for further period from 26-2-1977 to 23-5-1977 vice Shri S. K. Kapur, Assistant Personnel Officer granted leave.

P. S VENKATASUBRAMANIAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF SPACE
INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION
SPACE APPLICATIONS CENTRE

Ahmedabad-380 053, the 26th September 1977

No. SAC/EST/EFD/13/77.—The Director, SAC, is pleased to appoint Smt S K. Dave, a permanent Scientific Asst. 'B' to the post of Scientist/Engineer SB in this Centre in an officiating capacity with effect from January 1, 1977 until further orders.

S G NAIR
Head, Personnel & Gen Admn.

ISRO SATELLITE CENTRE

Banglore, the 1977

No. 020/3(061)/77 dated 29th September 1977 —Director, ISRO Satellite Centre is pleased to appoint the undermentioned persons to the posts mentioned against their names in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in a temporary capacity with effect from the forenoon of the dates as indicated against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	Designation	Date
	S/Shri		
1.	K. P. Mohanan	Engineer SB	1-6-1977
2.	D. L. Shirolikar	Engineer SB	6-6-1977
3.	K. Savio Sebastian	Engineer SB	8-6-1977
4.	B. K. Venkataramu	Engineer SB	10-6-1977
5.	H. Srinivassaih	Engineer SB	13-6-1977
6.	S. N. Prakash	Engineer SB	13-6-1977
7.	C D. Sridhara	Engineer SB	13-6-1977
8.	S. R. Chadrappa	Engineer SB	15-6-1977
9.	V. Sridhara Murthy	Engineer SB	24-6-1977
10.	N. Shama Rao	Engineer SB	27-6-1977
11.	T. K. Sundara Murthy	Engineer SB	7-7-1977
12.	T. K. Ramesh	Engineer SB	11-7-1977
13.	K Muthuswamy	Engineer SB	11-7-1977
14.	Ekkundi Ranganath Subbanna	Engineer SB	12-7-1977
15.	K. Parameswaran	Engineer SB	13-7-1977
16	Nitin Damodar Ghatpande	Engineer SB	13-7-1977
17	D. K, B, Choudhuri	Engineer SB	14-7-1977
18.	Raju Aller	Engineer SB	14-7-1977
19.	S. Vasudevan	Engineer SB	15-7-1977
20.	B. Ramakrishnam Raju	Engineer SB	19-7-1977
21.	Kum. S Uma	Engineer SB	27-7-1977
22.	P. V. Krishna Rao	Engineer SB	4-8-1977
23.	K. Nageswara Rao	Engineer SB	10-8-1977
24.	Sagar Kumar Mitra	Engineer SB	15-7-1977

VVS. CHOWDARY, Administrative Officer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 13th October 1977

No E(1)00941—The Director General of Observatories, hereby appoints Shri L R Meena as a temporary Assistant Meteorologist in the Indian Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) with effect from the forenoon of 19th September, 1977 and until further orders

Shri Meena has been posted to Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi

The 14th October 1977

No E(1)00934.—The Director General of Observatories, hereby appoints Dr S K. Gupta as a temporary Assistant Meteorologist in India Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) with effect from the forenoon of 31st August, 1977 and until further orders

Dr Gupta has been posted at the office of Regional Meteorological Centre, Bombay

G R. GUPTA
Meteorologist
for Director General of Observatories

New Delhi-3, the 17th October 1977

No E(1)00909—The Director General of Observatories, hereby appoints Smt Zehirun Nisha Begum as Assistant Meteorologist in the India Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30th August 1977 and until further orders.

Smt Z N Begum is posted to the Headquarters Office of the Director General of Observatories, New Delhi.

C G. BALASUBRAMANIAN
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 11th October 1977

No 38012/6/77-ES—Shri N John, Aircraft Inspector in the office of the Regional Director, Bombay Region, Bombay relinquished charge of his duties in the afternoon of the 31st August, 1977 on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

V. V JOHRI
Assistant Director of Administration

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 12th October 1977

No A-19012/21/77-Adm V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B), the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri J. D Prayag, Research Assistant, to the grade of Assistant Research Officer (Engineering) in the Central Water and Power Research Station, Pune, in the scale of Rs 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on a regular basis, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of 12th September, 1977.

2 Shri J D Prayag will be on probation in the cadre of Assistant Research Officer (Engineering) Central Water and Power Research Station, Pune, for a period of two years w.e.f 12-9-1977

The 14th October 1977

No A-19012/3/77-Adm.V—On the recommendations of Union Public Service Commission, Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Radhey Shyam Pareek to officiate in the grade of Extra Assistant Director (Hydromet) in the Central Water Commission, in the pay scale of Rs 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, w e f the forenoon of 26th September, 1977, until further orders

2 Shri Pareek assumed charge of the post of Extra Assistant Director (Hydromet) in the Central Water Commission New Delhi with effect from 26-9-77 (F N.).

3 Shri Pareek will be on probation for a period of two years w e f 26-9-77

4 Shri S P Mittal, Senior Professional Assistant (Hydromet) appointed to officiate as Extra Assistant Director (Hydromet) on ad-hoc basis with effect from 9-2-77 vide this Commission's Notification No A-19012/628/76-Adm V dated 27-4-77, stands reverted to the post of Senior Prof Assistant (Hydromet) w.e f 26-9-77 (F.N)

J. K. SAHA, Under Secy

SOUTH EASTERN RAILWAY

Calcutta-43, the 7th October 1977

No P/G/14/300H(II)—The following officiating Class II Officers of Signal Engineering Department of this Railway are confirmed in Class II Service of that Department with effect from the dates noted against each —

1. Shri S S Prasada Rao, 1-12-1976
2. Shri V P Ranga Rao, 1-12-1976
3. Shri G Surya Rao, 1-12-1976.
4. Shri B L Dasgupta, 1-12-1976
5. Shri M. Subramanium, 1-12-1976
6. Shri N S. Viswanathan, 1-12-1976

J N KOHLI, General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of Sri Dhanalakshmi Colour Company Private Limited (In Liqn.)

Madras-600 006, the 13th October 1977

No 2594/S 560(5) Liqn /76—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Sec 560 of the Companies Act 1956 that the name of "Sri Dhanalakshmi Colour Company Private Limited (In Liquidation)" has this day been struck off the register and the said company is dissolved

In the matter of Companies Act, 1956 and of Towerlines Private Limited (In Liquidation)

Madras-600 006, the 13th October 1977

No 5141/Liqn/560(5)/77—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Sec 560 of the Companies Act 1956 that the name of Towerlines Private Limited (in liquidation) has this day been struck off the register and the said company is dissolved

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Srivilliputtur Transports Private Limited

Madras-600 006, the 15th October 1977

No 4197/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Srivilliputtur Transports Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s Muthu Shanmuga Vilas Transports Private Limited

Madras-600 006, the 15th October 1977

No 4348/560(5)/77—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Muthu Shanmuga Vilas Transports Private Limited has this day been struck off the Register and the said compay is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Pampla Transports Private Limited

Madras-600 006, the 15th October

No. 3731/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pompla Transports Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s Banakandy Tea Estates Private Limited

Madras-600 006, the 15th October 1977

No. 4396/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Banakandy Tea Estates Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Sri Jayalakshmi Merchant Chit Fund Company Private Limited

Madras-600 006, the 15th October 1977

No 2630/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Sri Jayalakshmi Merchant Chit Fund Company Private Limited has this day struck off the Register and the said company is dissolved

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s Thiruvarur Transports Private Limited

Madras-600 006, the 15th October 1977

No. 4652/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Thiruvarur Transports Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Indian Companies Act 1913 and of The Utilities (India) Limited (In Liquidation)

Madras-600 006, the 1977

No 3139/Liqn/247(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub Section (5) of Sec 247 of the Companies Act, 1913 that the name of The Utilities (India) Limited (In Liquidation) has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

C. ACHUTHAN,
Asst Registrar of Company Tamil Nadu, Madras

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Mamta Finance & Chit Fund Pvt. Ltd. (In Liquidation)

New Delhi-110001, the 12th October 1977

No. Liqn./H-2501/18520.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Mamta Finance & Chit Fund Pvt. Limited (In Liquidation) has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

P K ARORA,
Asstt Registrar of Companies
Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and Paradeep Engineers Private Limited

Cuttack, the 14th October 1977

No L.454/77.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act, 1956 that an order for winding up of the above named Company was made by the Hon'ble High Court of Orissa on 26-8-77 in Company Act Case No. 4 of 1976 and that the Official Liquidator attached to the Hon'ble High Court of Orissa has been appointed as the Official Liquidator of the Company

D. K. PAUL,
Registrar of Companies
Orissa

OFFICE OF THE INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-400020, the 6th October 1975

No F 48-Ad (AT)/77.—1. Shri M. M. Prasad, Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay who was continued to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench, Cuttack for a period from 1.4.91977 to 31-8-1977 vide this office Notification of even number dated 7th April, 1977, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal Cuttack Bench, Cuttack on *ad hoc* basis for a further period of six months from 1.9.1977 to 28.2.1978 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is *ad hoc* and will not bestow upon Shri M. M. Prasad a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade

2. Shri Y. Balasubramaniam, Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay who was continued to officiate on ad hoc basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay for a period from 25.3.1977 to 31.8.1977 vide this office Notification of even number dated 7th April, 1977, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad hoc* basis for a further period of six months from 1.9.1977 to 28.2.1978 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is *ad hoc* and will not bestow upon Shri Y. Balasubramaniam a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade

3. Shri S. V. Narayanan, Senior Stenographer, Income-tax Appellate Tribunal, Hyderabad Benches, Hyderabad who was continued to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Calcutta Benches, Calcutta from 11.3.1977 to 31.8.1977 vide this office Notification of even number dated 7th April 1977, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Calcutta Benches Calcutta on ad hoc basis for a further period of six months from 1.9.1977 to 28-2-1978 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier

The above appointment is *ad hoc* and will not bestow upon Shri S. V. Narayanan, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

4. Shri U. N. Krishnamurthy, Senior Stenographer, Income-tax Appellate Tribunal, Hyderabad Benches, Hyderabad who was continued to officiate on *ad hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur from 11-3-1977 to 31-8-1977 vide this office Notification of even number dated 7th April, 1977, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur on *ad hoc* basis for a further period of six months from 1-9-1977 to 28-2-1978 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is *ad hoc* and will not bestow upon shri U. N. Krishnamurthy, a claim for regular appointment in that grade and the service rendered by him on *ad hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

S. RANGANATHAN
President, Income-tax Appellate Tribunal
Bombay

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
DHARWAR

Dharwar, the 18th October 1977

NOTICE No 193/77-78/ACQ—Whereas I, D C. RAJAGOPALAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Dharwar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing R S Numbers 4/1, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 6/1 and 23/2 situated at Chitradurga (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chitradurga, Under Document Number 1890/76-77 on 10-2-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Smt. K. Sondarmal,
2 Shri K D. Damodaran,
3 Shri K Lakshminarayanan,
Residing at Raja Street, Kumarpalyam, Tamilnadu.
(Transferors)

(2) Shri Jayalaxshmi Textiles, Chitradurga,
Represented by its Managing Directors
1 Shri G. Hanumanta Reddy, and
2. Shri K Veerabhadrappa.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property measuring 1,03,435 Square Yards, situated within the Municipal Limits of Chitradurga and structures, Buildings as stated in the instrument of Transfer.

D. C RAJAGOPALAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date 18-10-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 15th October 1977

C R. No. 62/8647/76-77/ACQ/B —Whereas I, J. S. RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No

All that piece and parcel of vacant site bearing present Corpo ration No 19/4F

situated at 1st Main Road, Jayamahal Extension, Bangalore-6 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar Bangalore, Document No. 2332/76-77 on 17-2-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Natverlal Kuberdas Shah,
S/o Shri Kuberdas Shah,
No. 56, Rajamahal Vilas Extension,
Bangalore.

(Transferor)

(2) Shrimati Sunita Bhandari
W/o Dr. Rajendra Bhandari,
No 42, 5th Main Road, Vyalikaval Extension,
Bangalore city.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 2332/76-77 Dated 17-2-77]

All that piece and parcel of vacant site (which is the Southern half of plot No. 'H', originally forming part of the immovable property Beau Fort area) and bearing present Corporation No. 19/4F, 1st Main Road, Jayamahal Extension, Bangalore-6

Boundries :

North : Northern half portion site No. 10/4F presently owned by Syed Shah Ali and bearing present No 19/4G

South . Property owned by Shri S. M Tulshyan.

East · 30' wide road leading to the 1st main Road of Jayamahal Extn.

West Road including the compound wall in the west.

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date 15-10-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 15th October 1977

Ref. No. C R. No 62/8687/76-77/ACQ/B —Whereas, I, J S RAO,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
All that piece and parcel of land bearing Municipal No 4, Ashley road, also known as/Ashley Park Road, Civil Station, Bangalore, togetherwith all buildings and structures thereon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Shivajinagar Bangalore, Doc No 2102/76-77 on 3-2-1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Motor Industries Co Lt.
Hosur Road, Adugodi, Bangalore-560030.
(Transferor)

(2) Mrs Kanakamony Velayudhan,
No 4, Ashely Road, Bangalore-560025
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 2102/76-77 dated 3-2-1977]

All that piece and parcel of land receiving Municipal No. 4, Ashley Road, also known as Ashley Park Road, Civil Station, Bangalore togetherwith all buildings as structures thereon.
Boundries .

North . House belonging to Mr Alagappa and road,
South : No 48, Richmond road belonging to Kirloskar Oil Engineers Ltd
East : No. 51, Richmond Road belonging to Devangagam and
West . Property belonging to P. Kooshy Oomen.

J. S RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 15-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 15th October 1977

Ref No. C R No 62/8704/76-77/ACQ/B —Whereas I, J S RAO,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangaloie
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.
Property bearing M Door No 3001/1, (C.I.T.B site No 25), situated at 2nd Main Road, Vanivilas Mohalla, Mysore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mysore DOC No. 1580/76-77 on 10-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely .—

(1) 1 Shri R. Srirangaiah, S/o late Chitaki Rangaiah
2 Smt Pushpavathi
3 Miss Rangamma
4 Kumar Dhani Rangaiah,
Children of Shri R. Sri Rangaiah Nos 3 & 4 (Minors) rep by their father and natural guardian Shri R Sri Rangaiah,
All residing at No 1545, Kolada Sandi Road, Lashkar Mohalla, Mysore.
(Transferor)

(2) Shri C. Rajanna,
s/o late Shri Ragi Mandi Irappa,
alias Chowdaiah,
Door No 198, Kshethriaiah Road,
Krishnaraja Mohalla, Mysore
(Tranferee)

(3) 1 Shri A N. Ananthanarayana,
2 Smt A. N. Rukminiamma,
[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1580/76-77 Dated 10-2-1977]
Property bearing M Door No 3001/1, (C.I.T.B site No. 25) 2nd Main Road, Vanivilas Mohalla, Mysore.

Boundaries —
E—IInd Main Road,
W—Conservancy Lane,
S—Property bearing door No 3001 belonging to Shri Parasharama Rayar,
N—Property bearing door No. 3002, belonging to Shri Shyama Raya

J. S. RAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangaloie

Date : 15-10-1977
Seal :

13—316GI/77

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 19th October 1977

Ref No C R No 62/8837/76-77/ACQ/B—Whereas, I, J S RAO,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Premises No 3, IInd Cross, situated at Ramaswamy Lane, Ramaswamy layout, Bangalore (Division No 38)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Basavanagudi, Bangalore Doc No 1941/76-77 on 24-2-1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) T Ramaswamy S/o late Thimmaiah,
Dist and Session Judge (Retd),
Police Station Road, Basavanagudi,
Bangalore-4
(Transferor)

(2) 1 Shri Mohammed Usman, S/o Shri Sheikh Omer,
Scrap Iron merchant, No. 13, Susheela Road,
2nd Cross, Doddamavahalli, Bangalore-4.
2 Shri Syed Ameer, S/o Syed Ameer,
No 2 Parvathi puram, Bangalore-4.
(Transferee)

(3) 1 Shri M A Balaji Singh,
No 3, IInd Cross Ramaswamy lane,
Ramaswamy layout Dn. No 38, Bangalore
2 Shri K T Srinivasan,
No 3/2 IInd Cross Ramaswamy lane,
Ramaswamy layout Dn No. 38, Bangalore.

[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which-ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No 1941/76-77 Dated 24-2-1977]

Property No 3, IInd Cross Ramaswamy lane, Ramaswamy layout, Bangalore (Division No. 38).

Boundaries—
East Ramaswamy lane,
West Setharamaiah's property,
North Property belonging to sumathi Venkatesh and
South Private property

J. S RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date 19-10-1977

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560 001, the 15th October 1977

Ref. No C.R No 62/9158/76-77/ACQ/B —Whereas, I, J S RAO,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
Land measuring one Acre (4050 Sq metres) in Survey No 25, situated at Shivanahalli Village, Yeshwantpur Hobli Bangalore North Taluk, (situated at present at Stage No. 1, III Phase, West of Chord Road, Rajajinagar, Bangalore-10 (Division No. 2)
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajajinagar, Bangagloie, Document No. 3160/76-77 on 21-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Secon 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) The Karnataka Urban Citizen's Housing Society, No 1115, III Cross, IX Main Road, Srirampuram, Bangaloie-21
Represented by
Secretary Shri Y A. Murugendra Swamy.
(Transferor)

(1) Assumption School,
Assumption Church II Block,
Rajajinagar, Bangalore -10
Represented by
Rev Father Jerome Lobo,
Parish Priest, Assumption Church,
Rajajinagar, Bangalore-10.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No 3160/76-77 Dated 21-2-77]

All that piece and parcel of the land situated in Shivanahalli, Yeshwanthpur, Hobi, Bangalore North Taluk, bearing No 25 (situated at present at Stage No. 1, III Phase, West of Chord Roard, Rajajinagar, Bangaloie-10 (Division No. 2).

Boundaries—
East—Shri S. M Hanumanthappa's land
West—Portion of land belonging to the Vendor bearing No. S. No 25,
North—25 ft proposed road and building sites formed by Vendor-Society and
South—Proposed 60 ft. road and land belonging to the Vendor

J. S. RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date 15-10-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th September 1977

Ref No F 4199 76-77—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No 25, situated at North Extension, Mettupalayam,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of of 1908) in the office of the Registration Officer at
Mettupalayam (Doc No 92/77) on 1-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Aysha Bai,
No 28 New Extension,
Mettupalayam

(Transferor)

(2) Shri S Mohamed Haneefa,
S/o Shri S M H Kader Mohideen,
No 191 Annoji Rao Road,
Mettupalayam

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Door No 25 North Extension, Mettupalayam

K PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 29-9-1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th September 1977

Ref No F 4206/76-77 —Whereas, I, K PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No 22/432 situated at Raja Street, Coimbatore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc No 234/77) on 5-2-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Ranel Saku Bai,
W/o Shri Devi Chand Sivaram,
No 17/255 N H Road,
Coimbatore

(Transferor)

(2) Shri K Srinivasa Chettiar,
No 241 Raja St,
Coimbatore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land & building bearing Door No 22/432 (New T. S. No. 1096/Part) Raja Street, Coimbatore

K PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date . 29-9-1977
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th September 1977

Ref No 4207/76-77.—Whereas, I, K PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

No 26 198 situated at Big Bazaar St, Coimbatore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc No 242/77) on 5-2-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri K R Vasudeva Rao,
S/o Shri Ramappa Iyer,
Oppanakkara Street,
Coimbatore.
(Transferor)

(2) Shri R Balavenkataraama Chettiar,
S/o Shri K Rajagopal Chettiar,
No 325 Big Bazaar Street,
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land admeasuring 2648 Sq. ft (with unfinished building) situated at New Door No 26/198, Big Bazar Street, Coimbatore

K. PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 29-9-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 3rd October 1977

Ref. No. F No 5487/76-77 —Whereas, I, K PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1861) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No 47-B, situated at Mowbray's Road, Alwarpet, Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore (Madras) Doc. No. 161/77) on March 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri C R Sundaram,
2 Mrs Kamakshi Sundaram, and
3 Shri C Aryama Sundram
No 47 C Mowbrays Road,
Madras18

(Transferor)

(2) Shri G Ramakrishnan,
No 38A Annoothi Pillayar Koil North St,
Vijayapuram Tiruvarur

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1 Ground & 2228 Sq ft (with building) situated at Door No 47-B Mowbray's Road, Alwarpet, Madras (R S No 1643/1 Part)

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 3-10-1977
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 3rd October 1977

Ref No. F 5502/76-77.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000 and bearing No 21A situated at Madley Road, T Nagar, Madras-17, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at JSR I, Madras North (Doc No 761) on 26-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T D Ramasubramaniam,
Smt. S. Jamuna,
No 21 Madley Road, T Nagar,
Madras-17

(Transferor)

(2) 1 Shri D. Kamarutheen,
Yembal Village, Tirumayam Taluk,
Pudukottai District, and

(Transferees)

2 Shri K A S Mohamed Ibrahim,
No 15 Muslim Street, Arantangi,
Pudukottai District

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter;

THE SCHEDULE

Land & building bearing Door No 21-A, Madley Road T Nagar, Madras-17 (Document No 761)

K PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date . 3-10-1977
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 5th October 1977

Ref No F.5489/76-77—Whereas, I, K PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

No. 60 1 situated at Edward Elliots Road, Mylapore Madras,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore (Madras) (Doc No 176/77) on 5-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

14—316GI/77

(1) Mrs. T S Ranganayaki,
W/o Shri Ganesa Iyer,
No 60/ Edward Elliots Road,
Madras.

(Transferor)

(2) M/s Acrow India Ltd.,
Sterling Centre, 5th Floor,
16/2 Dr Annie Besant Road,
Worli, Bombay-18

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 8 46 Grounds (with building) situated at Door No. 60/1 Edward Elliots Road, Mylapore, Madras. (New T.S. No 1071/21).

K. PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 5-10-1977
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 13th October 1977

Ref No 1/FEB 77—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

No 75/13, situated at Poonamallee High Road, Madras-10 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Perramet, Madras (Doc No 63/1977) on 2-2-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. K. Rajamma,
W/o Shri K. Karunakaran Nair,
"Lathika", T.C. No 16/991/1
Sreepuram Road, Poojapura,
Aruwada Village, Trivendrum Taluk,
Kerala State

(Transferor)

(2) Shri J. Gopal,
No. 26/2, P C Hostel Road,
Madras-600 031.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2 grounds and 1422 sft. with building thereon at door No. 75/13 (R.S. No. 455/2) Poonamallee High Road, Madras-10

G. RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date 13-10-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 14th October 1977

Ref No F. No. 22/FEB/77.—Whereas, I, G RAMANATHAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 8, situated at North Veli Street and No. 34, Krishnanayar Theoppakulam St, Madurai, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pudumandapam, Madurai (Doc No 142/77) on February 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s N. Narayanan,
N. Subbiah,
N Somasundaram,
Kannan Narayanan (minor)
by father & guardian Shri N Narayanan,
No. 7, Jawahar Road,
Chokkikulam, Madurai.
(Transferor)

(2) Shri R. M Mohanram (minor)
by mother & guardian,
Smt R M Parameswari Ammal,
W/o Shri M Ramasamy Achari,
No 2 Bulabhai Desai Road,
Chokkikulam, Madurai
(Transferee)

(3) M/s.
1 K K S Sami
2. Meenakshi Motors
3. P Suryanarayanan
4 B. S Krishnan
5 Rathinam, Auditor
6 A. M S Pechi Ammal
7. N Krishnamurthi
8 Natarajan
9 S Balakrishnan
10 T Narayanan
11 G Sundaresan
12 V Subramanyan
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1040 sft. with building there at door No 8, North Veli Street and No. 34, Krishnarayar Theppakulam Street, Madurai (Doc No 142/77) as shown below "Madurai district, Pudumandapam sub-district, Madurai town survey ward No. 5 (Present Ward No. 23) North of North Veli Street, West of Krishnarayar Theppakulam Street (Door Nos. 8 & 34 respectively), T S No 738—Land and building—eastern portion having the following boundaries :

On the northern side, portion sold to Smt Parameswari Ammal in T.S No 738,
On the Eastern side, Krishnarayar Theppakulam Street,
On the southern side, North Veli Street;
On the western side, portion sold to R M. Loganathan in T.S. No 738"

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date 14-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th October 1977

Ref No 34/I-I:B/77.—Whereas, I, G RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Nos 156, 157 & 158, situated at Salai Street, Ramanathapuram, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ramanathapuram (Doc No 41/1977) on 16-2-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely .—

(1) Shri M M Sultan Ibrahim,
Adhaham,
Middle Street, Keelakkarai,
Ramanathapuram district

(Transferor)

(2) Smt Ummul Raviathu Adhabia,
W/o Seeni Mohamed,
Kettiakaran Valasai,
Kothakottai Post, Ramnad Taluk

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land measuring 3,480 sq ft with building thereon at door Nos. 156, 157 and 158, Salai Street, Ramanathapuram

G. RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date 17-10-1977
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th October 1977

Ref No 42/ITEB/77—Whereas, I, G RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No 45 (T.S No 19), situated at 2nd Agraharam Street, Salem,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Salem (Doc No 229/77) on 23-2-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and / or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s T. K. Raghavendra Rao &
T. K. Govinda Rao,
No 13, Kalingaraya Mudali Street,
Rayapettah, Madras 600 014
(Transferor)

(2) Shri K Banugopal,
S/o Shri S. Kannan,
2nd Agraharam Street, Salem
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2840¾ sq ft with building thereon at door No 45 (T.S No. 19), 2nd Agraharam Street, Salem (northern portion) having the following boundaries .
On the northern side house belonging to Rohini;
On the western side by house belonging to K Visvanathan and 8 ft pathway,
On the eastern side by Shanmugasundaram's house,
On the Southern side by house No. 39, Kasi Muntappan Koil Street belonging to S Venkataraman

G RAMANATHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6

Date . 17-10-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras 6, the 15th October 1977

Ref No F 4223/76-77 —Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Site No 106 situated at Siddanaidu Layout, Coimbatore (Door No 15/5-B, New TS No 8/1589) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ty S R Coimbatore (Doc No 365/77) on 19-2-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Damodaran Chettiar,
No. 16/47A, Teppakulam Street No. 1,
Coimbatore.

(Transferor)

(2) Smt Khamarunnissa Begum,
No 11/123 Ramachandra Street,
R S Puram, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 5404 Sq ft (with building) and bearing Site No. 106; Sidda Naidu Layout, Coimbatore (D. No. 15/5-B, New T.S No 8/1589, Old T S. No 8/575/1A 2)

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 15-10-77
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6 the 15th October 1977

Ref No F 4224/76-77—Whereas, I, K PONNAN, being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 8/2, situated at Gopalapuram 2nd St., Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at T\ ISR Coimbatore (Doc No 379/77) on 21-2-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1 Shri A. R Srinivasan,
S/o late A. N Ramarao,
No 94 Sambandam Road, R.S. Puram,
Coimbatore.

2. Shri A R. Gopinath,
S/o late A N Ramarao,
Vivekanantha Road, Coimbatore.

3 Shri A G Sundararajan,
S/o Shri A R Gopinath,
Vivekanantha Road, Coimbatore

4 Shri G Jayasree,
D/o Shri A. R. Gopinath,
Vivekanantha Road, Coimbatore

5 Minor S Vengitesan
(Guardian) father A. R Gopinath
Vivekanantha Road, Coimbatore

6 Shri A R Vasudevan,
S/o late A N Rama Rao
Neiveli, Madras State.

7. Shri V Sundararajan
8 Shri V Venkitesan
9 Shri V Srinath
} Minors (guardian) A R Vasudevan, Neiveli, Madras, Madras State.

10 Smt. Rajalakshmi,
W/o Hanumantha Rao &
D/o late A. N. Rama Rao, Tanjore

11 Smt Kamalammal,
W/o late A N Rama Rao,
Gopalapuram, Coimbatore.

12 Shri A R. Krishnamurthy,
S/o late A. N Rama Rao,

13. Shri A R Achuthan,
S/o late A N. Rama Rao,
Gopalapuram, Power Agent for 11 & 12
A. R Lakshmi,
D/o late A N Rama Rao,
Gopalapuram, Coimbatore

14 Smt. A. R. Lakshmi,
D/o late A. N. Rama Rao,
Gopalapuram, Coimbatore

15. A R Vasantha,
D/o late A N Rama Rao,
Gopalapuram, Coimbatore

16 A R. Ananthi, residing in Foreign Country,
D/o late A N Rama Rao,
Power Agent Mother,
Smt Kamallammal,
W/o late A N Rama Rao,
Gopalapuram, Coimbatore.

17 Padmavathi,
D/o late A N Rama Rao,
Gopalapuram, Coimbatore.

(Transferor)

(2) Shri K Govindaraju Naidu,
S/o Shri Kuppusami Naidu,
Takkarpalayam, Pollachi Taluk

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respecitve persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 16¼ cents (with building) and bearing No. 8/2 Gopalapuram 2nd Street, Coimbatore (New T S No 1241—Old T.S. No 1/298/G—Anupparpalayam village, Coimbatore Town)

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date . 15-10-77

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II MADRAS-6

Madras-6, the 15th October 1977

Ref No F 5456/76-77.—Whereas, I, K PONNAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No 3, Josier Street, situated at Nungambakkam, Madras-600 034,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at T Nagar, Madras (Doc No 45/77) on 3-2-1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri R Krishnamurthy,
(2) Smt R. Parvathavardhani Ammal,
(3) Shri K. Rajagopal (represented by his father and Power of Attorney Agent—Shri R Krishnamurthy),
(4) Shri K Ramarathnam,
(5) Shri K. Lakshminarayanan and
(6) Shri K. Krishnakumar (Minor) (represented by father and guardian Shri R Krishnamurthy), No 3, Josier Street, Madras-34

(Transferor)

(2) Mrs S Jothi, W/o Shri M Selvaganapathy No 11, Haddows Road, Madras-6

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 2 grounds and 216 sq ft (with building) situated at No 3, Josier Street, Nungambakkam, Madras-600 034, (R S No 202/5 and C C No. 8496)

K PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II Madras-6

Date 15-10-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I BOMBAY

Bobay, the 15th October 1977

Ref. No AR-I/1944-1/Feb 1977.—Whereas, I, F J. FERNANDEZ,
being the Competent Authority,
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No C S. 886 of Worli Division situated at Worli,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 5-2-1977,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—316GI/77

(1) M/s Eskay Construction Corporation.

(Transferor)

(2) M/s. Sea Breeze Co-operative Housing Society Ltd

(Transferee)

(3) Flat owners.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

As per the document presented to Registrar's Office, vide Serial No. 2182/68/Bom/77 which is registered on 5-2-1977.

F. J. FERNANDEZ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay

Date . 15-10-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I BOMBAY

Bobay, the 15th October 1977

Ref. No. AR-I/1961-18/Feb. 77.—Whereas, I, F. J. FERNANDEZ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C.S 238(pt) of Parel-Sewri Division situated at Tokarsey Jivraj Road,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 19/2/1977,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Elphinstone Spinning & Weaving Mills Co. Ltd. (Transferor)

(2) Western India Warehousing Co. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCHEDULE as mentioned in the Registered Deed No. 929/71/Bom. and registered on 19-2-1977 with the Sub-Registrar, Bombay.

F. J. FERNANDEZ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 15-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I BOMBAY

Bombay, the 17th October 1977

Ref. No AR-II/2378-4/Feb. 77.—Whereas, I, V. S. MAHAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Final Plot No. 80, T P S. VI, situated at Vile Parle,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 23-2-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Vallabhdas Maganlal Sheth
(Transferor)

(2) Varma Villa Cooperative Housing Society Limited.
(Transferee)

(3) 1. Shri L. A. Mistry
2. Shri C. M. Tank
3. Shri R. G. Mistry
4. Mrs. K V. Meghani
5. Shri A P. Gandhi
6. Shri N C. Vyas
7. Shri D. K. Suraviya
8. Shri R. B. Shah
9. Shri C J. Desai
10. Shri D. M. Vyas
11. Mrs Y. A. Seth
12 Shri S B. Kothari
13. Shri H. D Vora
14. Shri K. S Shah
15. Shri S. Y Kazi
16. Shri M. D Munim
17. Shri A. G Kansara
18 Shri M. S. Rao
19. Shri K C Parekh
20 Shri J. R Gandhi
21 Shri B. M. Antia
22. Shri J. M. Parekh
23. Shri P. A. Mekhia
24 Shri C D. Shroff
25. Shri U. B Upadhya
26. Smt I. R. Doshi
27 Shri H. B. Desai
28. Shri V. M. Mehta
29. Shri S. J Mavani
30. Smt. M. S. Garodia
31 Shri J N. Desai
32 Shri A. N. Janodia
33. Smt. N. V. Gandhi
34 Shri B S. Gandhi
35. Shri N. N. Shroff
36. Shri P. T. Parikh
37. Smt. U. C. Shah
38. Shri R. N. Shah
39. Shri I C Shukla
40. Shri Bipin A. Shah
41. Smt. M S. Gandhi.

(Person in occupation of the property)

1. Mr. M. Sadanand Rao
2. Mr Mistry Lalji Anandjee
3 Mr. Mistry Chhagan Mohan Tank
4. Mr. Mistry Ramji Gordhan
5. Mr. B. M. Antani
6. Mr. Jitendra Motilal Parekh
7. Mr Premji Arjan Mekhia
8. Smt. Kanchanben V Meghani
9. Mr. Chandrakant D. Shriff

10 Mr & Mrs Vijaychandra B Upadhyay
11. Smt Indiraben R. Doshi
12 Mr. & Mrs Nareshchandra Vyas
13 Mr Vallabhdas Shivlal Shah
14. Mr Hirubhai B. Desai
15. Mr. Vasantrai Mohanlal Mehta
16. Smt Champaben D. Mehta & Chandrakant D Mehta
17 Mr Shah Ranmal Bhoja
18. Mr & Mrs. Chhotubhai J. Desai
19. Smt. Manjula Sureshchandra Goradia
20 Mr Rasiklal Keshavlal Bhatt
21. Smt. Aditben Chimanlal Joshi, Smt Pushpaben Bhagvatprasad Joshi
22 Smt Jyotsna Rasiklal Bhatt
23 Mr Bhupendra Chhotalal Shah
24. Smt Nirmalaben V. Gandhi
25. Mr Ishwarlal Nagarji Desai
26 Mr Sureshchandra B. Kothari
27 Smt Vijayaben Chhotalal Shah
28. Mr & Mrs. Nalinkant N. Shroff
29 Mr Praful Payantilal Parekh
30. Smt. Urmila Bhagwandas Shah
31 Mr Kirtilal Shankarlal Shah
32 Mrs Vividh Construction Co.
33. Mr R N. Shah
34 Mr. Indravadhan Chunilal Sukla
35 Mr Bipinchandra A. Shah
36 Mr Mahendrakumar D Muni
37 Mr Chetankumar Virendra Mody
38 Shri Keshavlal K. Varma.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registered Deed No 4940/72/R registered on 23-2-1977 with the Sub-Registrar at Bombay

V S. MAHAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 17-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II BOMBAY

Bombay, the 18th October 1977

Ref No AR-II/2377-3/Feb 1977.—Whereas, I, V. S MAHAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- Plot No. 7-B N A S No 57-B situated at Juhu,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 24-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dara Johangir Gama
(Transferor)

(2) Casa Cama Cooperative Housing Society Limited
(Transferee)

1 Smt Nergish Sirchand Rajani
2 Shri Minoo Gandhi & Smt Neville Minoo Gandhi
3 Shri Eruch Ardeshir Dastur
4 Smt. Aloo Bejan Davar
5. Smt. Dinshaw A Merchant
6. Smt Nergish Behram Edulkaka
7. Smt. Rutta Russa Ginwalla.
(Person in occupation of the property).

1 Mrs Billa Dara Cama
2. Mrs. Nergish S Rajani
3 Mrs. Roshani B Sethna
4 Mr Eruch A. Dastur
5 Mrs Dhunna F Khatiwalla
6. Mrs. Dhunna F Khatiwalla
7. Mr. Homi Jal Pastakia
8. Mrs. Rutty Russa Ginwalla
9 Mrs Nergish Keki Giara
10 Mrs Nergish Mehram Edulkaka
11 Mr Dinshaw H. Baria
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered No. 896/71/R registered on 24-2-1977 with the Sub-Registered at Bombay.

V. S. MAHAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 18-10-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I BOMBAY

Bombay, the 19th October 1977

Ref. No AR-I/1950-7/Feb 1977—Whereas, I, F. J FERNANDEZ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
No. C.S. 711 of Malabar & Cumballa Hill Division Dr. G. Deshmukh Marg, situated at Bombay
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 3/2/1977,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Pukhraj L. Jain & Others
(Transferor)

(2) Kalpataru Apartments Co-operative Housing Society Ltd
(Transferee)

(3) Members of the Society.
(Person in occupation of the property)

(4) Members of the Society.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCHEDULE as mentioned in the Registered Deed No. 1686/72/Bom. and registered on 3-2-1977 with the Sub-Registrar, Bombay.

F. J. FERNANDEZ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay

Date . 19-10-1977

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
MAREENA BUILDINGS, M.G ROAD,
ERNAKULAM, COCHIN-682016

Cochin-682016, the 11th October 1977

Ref. L. C No 147/77-78.—Whereas I, C. P. A VASUDEVAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Sy No. as per schedule situated at Muttathara Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Trivandrum on 28-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) (i) Smt Ayisha Beevi,
(ii) Smt. Nafeesath Beevi,
(iii) Sri Shahul Hameed,
(iv) Muhammed Yoosuf,
All c/o M/s S M M.A Khader & Co., Merchants, Chalai, Trivandrum.
(Transferors)

(2) 1 Sri S M. Haneefa Sahib
2 Smt. Asma Beegum,
Ashraf Manzil, Palace Road, Chittattin kara Attingal.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

20 cents of land with buildings No TC. 40/163 in Muttathara village Sy No. 246/3, Trivandrum district.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date . 11-10-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
MAREENA BUILDINGS, M G ROAD,
ERNAKULAM, COCHIN-682016

Cochin-682016, the 13th October 1977

Ref L.C No 148/76-77.—Whereas I, C P A VASUDEVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Sy. No as per schedule
situated at Ernakulam Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ernakulam on 3-2-1977
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Beevi, Cochin-11

(Transferor)

(2) 1. Smt V. K. Suhara
2 Sri Sadique by guardian Arakkal Muhammed Cochin-11.

(Tranferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

14 cents of land with building No XXXVII/985 in Ernakulam Village Survey No 455/6—vide Schedule to Document No. 308/1977.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date 13-10-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE NAGPUR

Nagpur, the 15th October 1977

Ref No IAC/ACQ/48/77-78 —Whereas I, H C SRIVASTAVA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and House On Plot No 81, situated at Gondia Dist Bhandara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gondia in March, April, May 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

(1) 1. Shri Dhanraj Hargundas Thakarani, Sindhi Colony, Gondia, Dist. Bhandara.

(Transferor)

(2) 2 Smt Gopibai G Hasrani, Gondia.
3 Shri Asandas Khushaldas Tanwani, Sakoli.
4 Shri Rajkumar Khushaldas Tanwani Sakoli,
5 Shri Arjundas Khushaldas Tanwani, Sakoli,
6 Smt Dadanbai Bilandarrai Kundanani, Gondia
7 Shri Manoharlal Laxminarayan Tiwari, Gondia

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gondia Thak No 76, Tah Gondia, Laxmibai Ward, Sheet No 19 House on Plot No 81, Area 4660 Sqr Ft

H C SRIVASTAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Nagpur

Date 15-10-1977
Seal ,

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
BHATINDA

Bhatinda, the 15th October 1977

Ref No. A P 43/77-78—Whereas I, P. N MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (herelnafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
As per schedule
situated at Nakodar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nakodar on Feb , 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Lal Chand s/o Sh. Dal Chand,
House No 232, Mohalla Krishna Nagai,
Jullundur.

(Transferor)

(2) Sh Nihal Chand s/o Sh Darya Ram,
Prehlat Chand, Sh Kewal Krishan s/o
Sh Nihal Chand,
Mohalla Rajputta, Nur Mehal Chowk,
Post Office Road, Nakodar.

(Transferee)

(3) As per s No 2
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in sale deed No 3045 dated 28-2-1977 with the Sub-Registrar, Nakodar

P N MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 15-10-1977
Seal ,

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
BHATINDA

Bhatinda, the 18th October 1977

Ref No A P /44/77-78 —Whereas I, P N MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No As per schedule
situated at V. Kot Puran Singh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phagwara on Feb , 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .—

(1) Sh Joginder Singh s/o Sh. Gurbachan Singh,
R/o Village Kot Puran Singh,
Teh Phagwara.

(Transferor)

(2) Sh Dalip Singh s/o Sh Cham Singh,
R/o Village Chahal Pui, Teh Garh Shanker,
(Distt Hoshiarpur)

(Transferee)

(3) As per s. No. 2
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 36 Kanals in village Kot Puran Singh, Teh Phagwara as mentioned in sale deed No 1754 of Feb , 1977 registered with the S.R. Phagwara

P. N MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda

Date . 18-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BHATINDA

Bhatinda, the 18th October 1977

Ref No A P /46/77-78 –Whereas I, P N MALIK being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding As per schedule
Rs 25,000/- and bearing No
situated at V Kot Puran Singh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Phagwara on Feb , 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sh Narinder Singh s/o Sh Gurbachan Singh, R/o Kot Puran Singh, Teh Phagwara

(Transferor)

(2) Sh Bhajan Singh s/o Sh Chain Singh, R/o Village Chahal Pur, Teh Garh Shanker, (Hoshiarpur)

(Transferee)

(3) As per s. No. 2
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land measuring 36 Kanals at village Kot Puran Singh, Teh Phagwara as registered in sale deed No 1755 of Feb., 1977 with the S.R Phagwara

P N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date 18-10-1977
Seal

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSITT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
BHATINDA

Bhatinda, the 18th October 1977

Ref No A.P 45/77-78.—Whereas I, P N MALIK being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule
situated at V Kot Puran Singh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phagwara on Feb , 1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Sh. Harminder Singh s/o Sh. Gurbachan Singh,
R/o Village Kot Puran Singh,
Teh Phagwara.
(Transferor)

(2) Sh Rawel Singh s/o Sh Cham Singh,
R/o Village Chahal Pur, Teh Garh Shanker
(Hoshiarpur)
(Transferee)

(3) As per s No. 2
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 36 Kanals situated in village Kot Puran Singh, Teh. Phagwara as mentioned in sale deed No 1753 of Feb , 1977 with the S.R. Phagwara

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date . 18-10-1977
Seal .

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Bhatinda, the 18th October 1977

Ref No A P 47/77-78 —Whereas I, P N MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No As per schedule situated at V Kot Puran Singh and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on Feb , 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Surinder Singh s/o Sh. Gurbachan Singh, R/o Village Kot Puran Singh, Teh Phagwara

(Transferor)

(2) Sh Gurnam Singh s/o Sh Chain Singh, R/o Village Cahal Pur, Teh Garh Shanker, (Hoshiarpur)

(Transferee)

(3) As per s No 2.

[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 36 Kanals situated in village Kot Puran Singh, Teh Phagwara registered with the S R Phagwara vide No 1756 of Feb. 1977.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date 18-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BHATINDA

Bhatinda, the 19th February 1977

Ref No. A P /48/77-78.—Whereas I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
As per schedule
situated at Moga Mehla Singh
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moga on Feb., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Balwant Singh s/o Sh. Phuman Singh s/o Sh. Hira Singh,
R/o Moga Mehla Singh (Agwad Kumi Ka).
(Transferor)

(2) Sh Darshan Singh s/o Sh Hakim Singh
c/o Malwa Industrial Corporation,
Near Town Hall, Moga.
(Transferee)

(3) As per s No 2
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

A two storeyed house measuring 7¼ marlas situated in Moga Mehla Singh as mentioned in sale deed No 6379 of Feb, 1977 with the S R. Moga

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date 19-10-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269B(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No. Acq F. 459.—Whereas I, N K NAGARAJAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
TS/153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tenali on 21-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Godavarti Vyaso Narayano Hari, S/o Ramasastrulu, Ganganammapeta, Tenali.

(Transferor)

(2) Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali as per list enclosed

1 Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah

2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao,

3 Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya

4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o Anjaiah.

5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham

6 Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 352/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date 6-10-1977
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUSITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No. Acq. F. No. 460 —Whereas I, N K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to relieve that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing TS/153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tenali on 21-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
17—316GI/77

(1) Shrimati Immidi Venkata Ratnamma, W/o Gurnadham, Tenali

(2) 1. Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah.
2. Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3 Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4. Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah
5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham.
6. Sri Karempudi Diva Kripakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 353/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date . 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 296D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No Acq F. No 461—Whereas I, N. K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceding Rs 25,000 and bearing No.
TS/153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tenali on 21-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Sri Alapati Trisulapani, S/o Ramaswamy
2 Sri A Narayana Murty, S/o Ramaswamy,
3. Sri A Venkata Naga Radha Krishna Murty, Minor by guardian father A Narayanamurty
4. Sri A. Ramesh Kumar, Minor by guardian father A Narayanamurty.
5 Smt. A Hymavati, W/o Trisoolapani, Ponnur.
(Transferors)

(2) 1 Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao
3 Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o Anjaiah
5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham
6 Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 358/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977

N. K NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date : 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No Acq F No 462—Whereas I, N K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding R. 25000/- and bearing No.
TS/153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Tenali on 21-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Sri Bollisetti Bhadrayya, S/o Sriramulu, Thumulur,
2. Sri Alapati Basavapunnarao, Adopted son of Smt A Appamma, Thumulur,
3 Smt Bollisetti Alivelu Mangatayaramma, W/o Basavapunnaiah, Repalle.

(Transferors)

1. Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3 Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o Anjaiah.
5. Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham.
6 Sri Karempudi Diva Kupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 359/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date . 6-10-1977
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref. No Acq. F. No 463 —Whereas I, N. K NAGARAJAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing TS/153, 11-1-1, situated at Tenali (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tenali on 22-2-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act; 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Tripuramallu Aruna Kumar, S/o Sriramulu,

2. Sri Tripuramallu Mohanakrishna Prasad, S/o Sriramulu,

3 Sri Tripuramallu Srinivasa Prasad, S/o Sriramulu,

4 Sri Tripuramallu Kasiviswanadham, S/o Sriramulu, Tenali.

(Transferors)

(2) Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali as per list

1. Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah.

2. Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.

3. Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.

4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah

5. Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham.

6 Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao, Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 361/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977 and the engine and boiler installed in the Zinc sheet shed.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date . 6-10-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No Acq. F No. 464 —Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
TS No 153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Tenali on 22-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer ; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Kuchumanchi Vedadri Narasimharao S/o Chenchaiah,
2. Kuchumanchi Chenchuvaraprasad,
3. Kuchumanchi Harikishore,
} Minor by guardian father Vedadri Narasimharao, Tenali.

(Transferors)

(2) 1. Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah.
2. Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3. Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah.
5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham
6. Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 363/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date . 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No Acq. F. No 465.—Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
TS No 153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Tenali on 23-2-1977
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) 1. Sri Kunala Ramagurunadham, S/o Sangaiah,
2 Sri Kunala Sangameswar, G P.A. holder and son of K Ramagurunadham
3 Sri Kunala Ramashankar, S/o K Ramagurunadham.
4 Sri Kunala Naga Srinivas, minor by guardian father K. Ramagurunadham, Duggirala
(Transferors)

(2) Partners of M/s Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali :
1 Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah.
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3. Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah.
5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham.
6 Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 373/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref. No Acq F No. 466—Whereas I, N. K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. TS/153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Tenali on 24-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Immidi Venkatarao, S/o Gurunadham,
2 Immidi Gurunadham, minor by guardian father Venkatarao,
Tenali

(Transferors)

(2) Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali as per list
1. Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3 Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah
5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham
6. Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 380/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977.

N. K NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date : 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No. Acq. F. No. 467.—Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
TS/No. 153, 11-1-1 situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tenali on 26-2-1977
for apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as against to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Kunala Mallikarjunarao, S/o Punnayya,
2. Kunala Poornanandarao, S/o Mallikarjunarao,
3 Kunala Venkatapurna Nageswararao,
4. Kunala Shanmukha Prasad,
Minors by guardian father Poornananda
5. Kunala Raghavendrarao,
6. Kunala Sambasivarao,
sons of Mallikharjunarao, Emani
(Transferors)

(2) Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali as per list
1 Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3. Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4. Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah
5. Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham.
6 Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 399/77 registered before the Sub-registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No Acq F. No 468—Whereas I, N K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing TS No. 153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tenali on 26-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

18—316GI/77

1 Kunala Basavapunnaiah, S/o Ramagurunadham,
2. Kunala Ramagurunadham, S/o Basavapunnaiah,
3 Kunala Ramalingeswararao, S/o Ramagurunadham,
4 Kunala Sangameswararao, S/o Ramagurunadham,
5. Kunala Satyanarayana, S/o Ramagurunadham,
6 Kunala Venkataramesh, minor by guardian father Ramagurunadham,
7. Kunala Venkata Sivapandu Ramarao, S/o Basavapunnaiah, Emani
(Transferors)

(2) Partners of M/s Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali as per list
1 Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao
3 Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya,
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah
5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham
6 Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 406/77 registered before the Sub-registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977.

N. K NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date . 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref. No Acq F No 469.—Whereas I, N K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refeired to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
TS/153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tenali on 28-2-1977
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Kuchumanchi Venkateswarlu, S/o Kasi Viswanadham,
2 Kuchumanchi Venkata Naga Viswa Prasad, Minor by guardian father Venkateswarlu,
3. K. Sivaramakrishnaiah, S/o Venkateswarlu,
4. K. Badari Narayana, S/o Venkateswarlu,
5. K Srinivas, S/o Venkateswarlu,
6 Smt. Tadiparti Veeramma, W/o Narayanamurty,
7. Smt. Tadiparti Subbamma, W/o. Kutumbarao, Tenali
8. Tadiparti Mohana Rao, S/o Kutumbarao,
9. Tadiparti Srikrishnavaraprasadarao, S/o Kutumbarao,
10 Kuchumanchi Yeko Narayana, S/o Krishnaiah,
11. Kuchumanchi Gandhi, S/o Yekonarayana,
12 Kuchumanchi Venkateswarlu, S/o Yekonarayana,
13. Kuchumanchi Kanakamma, W/o Venkatasubbarao
14 Kuchumanchi Ramapurnachandrarao, S/o Venkatasubbarao
15. Kuchumanchi Adilaxmi Kameswaramma, W/o Sambasivarao, Tenali

(Transferors)

1. Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah.
2. Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3. Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o Anjaiah
5. Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham
6. Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 410/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977

N K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref No Acq F No 470—Whereas I, N K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
TS No 153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tenali on 28-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Chunduru Bala Vasundhara Devi, W/o Vittaleswara Rao,
2 Kum. Ch. Radhika Kalyani, minor by guardian mother Balavasundharadevi,
3 Smt. Ch. Sitaramanjaneyamma, W/o Ramayya, Ganganammapet, Tenali.
(Transferors)

(2) 1. Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3. Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4 Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o. Anjaiah
5 Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham.
6 Sri Karempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 411/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 28-2-1977

N. K NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date . 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 6th October 1977

Ref. No Acq F No 471.—Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
TS No 153, 11-1-1, situated at Tenali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tenali on 7-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

S/Shri

(1) 1. Kunala Baparao, S/o Venkatappayya,
2 Kunala Mohanarao,
3. Kunala Bhaskararao, } Sons of Baparao
4 Kunala Nagendrasivaprasad,
5 Kunala Subrahmanyam,
6. Kunala Sarvalaxmamma, W/o Sangaiah
7 Doguparti Subbarao, S/o Nagendram
8 K Suryakumari, W/o Sangameswararao,
9 K Venkata Basaveswararao, S/o Sangameswararao
10. Kum. K. Venkatabala Tripura Sundari, minor by guardian mother K. Suryakumari,
11 Tadiparti Hari Babu, } Minors by
12 Tadiparti Pandurangarao, } guardian father
13. Tadiparti Sitaramakantarao, } Mohanarao
Emani.

(Transferors)

1 Sri Kodali Nageswara Rao, S/o Subbaiah
2 Sri Kodali Ravikumar, S/o Nageswara Rao.
3 Sri Paladugu Venkateswara Rao, S/o Raghavayya.
4. Sri Yelavarti Gopala Rao, S/o Anjaiah
5. Sri Jonnalagadda Venkata Subrahmanyam, S/o Laxminarasimham
6 Sri Katempudi Diva Krupakara Rao, S/o Roseswara Rao,
Partners of Sri Laxmi Satyanarayana Rice & Oil Mill, Morrispeta, Tenali

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 509/77 registered before the Sub-Registrar, Tenali during the fortnight ended on 15-3-1977.

N K NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date 6-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 12th October 1977

Ref No AC-19/Acq.R-IV/Cal/77-78.—Whereas, I, A. N. BHATTACHARYYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No 332 and 333 situated at Netaji Subhas Road, Howrah (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Howrah on 14-2-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bimal Kumar Malick.
(Transferor)

(2) Shri Basudev Laha and Golok Behari Laha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 8 cottahs 6 Chittaks 10 sft together with the structures thereon situated at 332 and 333, Netaji Subhas Road, Howrah more particularly as per deed No. 316 dated 14-2-1977

A. N. BHATTACHARYYA,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date . 12-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 14th October 1977

Ref No Ac-20/Acq R-IV/Cal/77-78—Whereas, I, A. N. BHATTACHARYYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No as per schedule situated at Howrah
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Calcutta on 10-2-1977,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Goenka Properties Pvt Ltd.

(Transferor)

(2) Trustees to Gouri Shankar Goenka, Endowment Trust.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons wihin a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land and building/structures thereon situated at
(i) 217 & 218, Grand Trunk Road, Ghusuri, Howrah
(ii) 105, Naskar Para Road, Howrah.
Area 5 Bighas 11 Kattahs.
(iii) 37, Bhut Bagan Lane, Howrah—Area 10 cottahs.
more particularly as per deed No I-562 of 1977.

A N. BHATTACHARYYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date . 14-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 18th October 1977

Ref No SI 434/TR-127 Cal-1/76-77.—Whereas, I, L K. BALASUBRAMANIAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No 3 (being Flat No 6A) situated at Loudon Street, Calcutta,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt Place North, Calcutta on 30-3-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Sadhana Properties Pvt Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta

(Transferor)

(2) Sri Asif Mowjee, 165B, Park Street, Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6A at premises No. 3, Loudon Street, Calcutta, with servant's quarter and garaging space together with all rights and liabilities as per deed No. I-1306 of 1977 registered on 30-3-77 with Registrar of Assurances, Calcutta.

L. K. BALASUBRAMANIAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 18-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 18th October 1977

Ref No. Acq SI435/TR-128/Cal-1/76-77 —Whereas, I, L. K. BALASUBRAMANIAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,00/- and bearing
No 3 (being Flat No. 6B), situated at Loudon Street, Calcutta,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
5, Govt Place North, Calcutta on 30-3-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Sadhana Properties Pvt Ltd, 14, Netaji Subhas Road, Calcutta.

(Transferor)

(2) Mst Naroonissa A. Mowjee, 165B, Park Street, Calcutta

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication o fthis notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6B at premises No. 3, Loudon Street, with servants room and Car Parking space, Calcutta together with all rights and liabilities as per Deed No I-1308 of 1977 registered on 30-3-1977 with Registrar of Assurances, Calcutta

L. K BALASUBRAMANIAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date . 18-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 5th October 1977

Ref No. P R No 520 Acq 23-937/19-7/77-78 —Whereas, S. C PARIKH,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Ward No 12, Nondh No 2759-B situated at Near Agana Vad, Saiyedpura, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Surat on February, 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ,—

19—316GI/77

(1) Shri Kantilal Chhotalal,
Near Agana Vad, Saiyedpura, Surat.
(Transferor)

(2) (1) Shri Kalicharan Kanaiyalal;
(2) Shri Shyamsunder Kalicharan;
(3) Shri Omprakash Kalicharan;
(4) Shri Ramchandra Kalicharan,
25, Nidhuam Maji Land, Hawara
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Ward No. 12, Nondh No 2759 situated near Agana Vad, Saiyedpura, Surat admeasuring 82 68 sq mts as described in the sale deed registered under registration No. 188 in the month of Feb, 1977 by the registering Officer, Surat.

S C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 5-10-1977
Seal ;

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II 2ND FLOOR HADI OOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 5th October 1977

Ref No P R. No. 521 Acq 23-955/7-4/77-78.—Whereas, I S C PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No 86, Tika No 4-5 situated at Dadangwad, Navsari, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Navsari on 14-2-1977, for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narottambhai Haribhai Patel,
Guru Kirupa, Zaveriwadi, Zaveri Sadak, Navsari.
(Transferor)

(2) (1) Shri Chunilal Gandabhai Sadadiwala;
Malesu, Zampa Mahollo, Navsari.
(2) Shri Maganlal Gandabhai Sadadiwala;
Mota Bazar, Navsari.
(3) Shri Thakorlal Gandabhai Sadadiwala,
Mota Baar, Navsari
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Muni No. 505 505/1 and 510 of Ward No. 4 and City Survey Tika No 4/5; S No 86, situated at Dadangwad, Navsari admeasuring 187 sq yds. as described in the sale deed registered under registration No 115 in the month of February, 1977 by the registering Officer, Navsari.

S C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 5-10-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 5th October 1977

Ref No P R. No 522 Acq.23-953/7-4/77-78 —Whereas, I, S. C PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No Old R S No. 204/1-2 & 206 paiki
New Tika No 885 No 3780 situated at Lunsikui area, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on 21-2-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such appartent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Banoo Rusi Chowna,
71, El-Cid, 7th Floor, Ridge Road, Malbar Hill, Bombay 400006.
(Transferor)

(2) The Trustees,
"Avan Baug Charity Trust Funds,
Charpul Road, Navsari.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1th undevided share in property land bearing old R S. No 204/1-2 & 206 paiki New Tika No 88 S. No. 3780 admeasuring 10442 sq mts with construction of old Bungalow thereon and land bearing old R S No 204/1-2 paiki New Tika No 92 Survey No 3804 paiki 662-21-49 sq mts. situated in Lunsi Kui area as described in the sale deed registered under registration No. 144 in the month of Feb., 1977 by the registering Officer, Navsari.

S C PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date 5-10-1977

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 14th October 1977

Ref. No P.R No 523 Acq 23-936/19-7/77-78.—Whereas, I, S C PARIKH,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No S No. 60, F P. No 129/A T.P Scheme No. V situated at Athwa, Goddhod Road, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Surat on February 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1 Shri Taher Hasanali
2 Shri Shantilal Chhaganlal Shah
3 Shri Kishore Thakorbhai Desai
4 Shri Yagnesh Natverlal Nanavati
5 Miss. Alakkishori Maganlal Kinariwala, Surat
(Transferor)

(2) 1 Shri Earuch Shah Bhaoja
2. Shri Kishorechandra T. Desai
3 Shri Minoo R Dumasia
4 Shri Dinkar R. Desai
5. Shri Jamshedji C Bhathana,
All of Surat, C/o Union Bank Staff Co. Op. Housing Society Ltd, Surat
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Bearing R S No 60(1) Athwa, F.P No. 129/A, T P Scheme No. V, situated at Goddhod Road, Athwa, Surat, District Surat, admeasuring 1903 sq. yds. as described in the sale-deed registered under Registration No 265 of February, 1977 by the Registering Officer, Surat.

S C PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date . 14-10-1977
Seal :

FORM ITNS—— ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 14th October 1977

Ref No P R No 524 Acq 23-956/7-4/77-78.—Whereas, I, S C PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 18A Land bearing Tika No 69, Survey No 4300 & 4301 situated at Near Ashabag, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on Feb. 1977,
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Smt Maniben Gandubhai Desai,
2. Shri Sihambhubhai Gandubhai Desai,
Ashabag, Navsari

(Transferors)

(2) Shri Dinubhai Gulabbhai Desai,
Saribujrang, Amalsad, Ta Gandevi

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land bearing Plot No 18A admeasuring 264 70 sq. meters of land bearing Tika No 69, Survey Nos 4300 & 4301 near Ashabag, Navsari, Distt Valsad, as described in the sale-deed registered under the registration No 116 of February, 1977 by the Registering Officer, Navsari

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ahmedabad

Date . 14-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1977

Ref No P R. No 525 Acq 23-956/7-4/77-78.—Whereas, I, S C PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Plot No 18B land bearing Tika No 69, Sur No. 4300 and 4301 situated at Near Ashabag, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office
at Novsari on February 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Smt. Maniben Gandubhai Desai.

(2) Shambhubhai Gandubhai Desai, Ashabag, Navsari

(Transferor)

(2) Babubhai Jivanji Patel, Mograwadi, Valsad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot of land bearing Plot No 18B admeasuring 267 94 sq meters of land bearing Tika No. 69, Survey Nos. 4300 and 4301 near Ashabag, Navsari District Valsad, as described in the Sale-deed registered under the registeration No 117 of February, 1977 by the Registering Officer, Navsari.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 14-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th September 1977

Ref No. P R No 526 Acq 23-956/7-4/77-78 —Whereas, I, S C. PARIKH,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
Plot No 15B Land bearing Tika No 69, Survey No 4300 & 4301 situated at Near Ashabag, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on Feb 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1 Smt Maniben Gandubhai Desai
2 Shri Shambhubhai Gandubhai Desai, Ashabag, Navsari

(Transferor)

(2) Erach Kavasji Kasad, Banavad, Mota falia, Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land bearing Plot No 15B admeasuring 273 74 sq metres of land bearing Tika No 69, Survey Nos 4300 & 4301 near Ashabag, Navsari District Valsad, as described in the sale-deed registered under the registration No 118 of February, 1977 by the Registering Officer, Navsari.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 14-10-1977
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 14th October 1977

Ref No P R No. 527 Acq.23-956/7-4/77-78 —Whereas, I, S C PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Plot No 15A land bearing Tika No 69 Sur 4300 & 4301 situated at Near Ashabag, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on Feb, 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Smt Maniben Gandubhai Desai
2 Shri Shambhubhai Gandubhai Desai
Ashabag, Navsari

(Transferor)

(2) Keki Navroji Variava,
Kalaliawad Mota-falia, Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land bearing Plot No 15A admeasuring 274.50 sq. meters of land bearing Tika No 69, Survey Nos. 4300 & 4301 near Ashabag, Navsari District Valsad, as described in the sale-deed registered under the registration No. 119 of February, 1977 by the Registering Officer, Navsari.

S. C PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date . 14-10-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th September 1977

Ref No. P R. No 528 Acq 23-956/7-4/77-78 —Whereas, I, S C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/-and bearing
Plot No. 16B Land bearing Tika No 69, Survey No 4300 & 4301 situated at Near Ashabag, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Navsari on Feb , 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

316GI/77

(1) 1 Smt. Maniben Gandubhai Desai
2 Shri Shambhubhai Gandubhai Desai
Ashabag, Navsari.
(Transferor)

(2) Bharatkumar Bhaskerrai Desai,
At & Post Kharsad, Ta · Navsari.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land bearing Plot No 16B admeasuring 264 70 sq. metres of land bearing Tika No 69, Survey Nos 4300 & 4301 near Ashabag, Navsari District Valsad, as described in the sale-deed registered under the registration No. 120 of February, 1977 by the Registering Officer, Navsari

S C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date 14-10-1977

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th September 1977

Ref No P.R No 529 Acq 23-956/7-4/77-78 —Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 17A Land bearing Tika No 69, Survey No 4300 & 4301 situated at Near Ashabag, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering officer at
Navsari on Feb., 1977.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act to the following persons, namely :—

(1) 1 Smt. Maniben Gandubhai Desai.

2 Shri Shambhubhai Gandubhai Desai
Ashabag, Navsari

(Transferor)

(2) Bhupendra Tribhovandas Mehta,
Hanuman Bhagda, Valsad

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land bearing Plot No. 17A admeasuring 264.70 sq metres of land bearing Tika No 69, Survey Nos 4300 & 4301 near Ashabag, Navsari District Valsad, as described in the sale-deed registered under the registration No. 121 of February, 1977 by the Registering Officer, Navsari.

S C PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date . 14-10-1977
Seal :